



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2002/चैत्र 12, 1924

No. 67]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2002/CHAITRA 12, 1924

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2002

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002

फा.सं. आईआरडीए/रेग्यु/03/2002.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2000 को अधिकांश करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) इन विनियमों के प्रारंभ से ही बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2000 का, उन बातों को छोड़कर, जिनको इन के अधीन किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, अधिक्रमण हो जाएगा।

2. परिभाषाएं—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) इनमें प्रयोग किए गए और परिभाषित न किए गए सभी शब्दों और पदों का, किन्तु जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41), या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित किए गए हैं, वहीं अर्थ होगा जो क्रमशः उन का उन अधिनियमों में है।

3. वित्तीय विवरण, प्रबंध रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना—(1) इन विनियमों के प्रारंभ के पश्चात् जीवन बीमा कारबार चलाने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता अनुसूची क की अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(2) इन विनियमों के प्रारंभ के पश्चात् साधारण बीमाकारबार चलाने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता अनुसूची ख की अपेक्षाओं का पालन करेगा :

परन्तु यह उप-विनियम, जब तक पृथक् विनियम नहीं बनाए जाते हैं, यथावश्यक परिवर्तनों सहित पुनर्बीमाकर्ताओं को लागू होंगे।

(3) प्रत्येक बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता के वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अनुसूची ग की अपेक्षाओं के अनुरूप होगी या उसके इतनी निकट हो जितनी परिस्थितयां अनुज्ञात करें।

(4) प्राधिकरण समय-समय पर यथास्थिति, किसी बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, उन्हें जारी रखने या उनके हटाने के विषय में पृथक्-पृथक् निदेश/मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी कर सकेगा और ऐसे निदेशों/मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत लेखापरीक्षकों की अर्हताओं और अनुभव, उनका चक्रानुक्रमण, नियुक्ति की अवधि, आदि के बारे में विहित करना, जो प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जाएं, हो सकेंगे।

अनुसूची क (विनियम 3 देखें)

भाग 1

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लेखा सिद्धान्त

1. लेखा मानकों का लागू होना—किसी बीमाकर्ता का प्रत्येक तुलन-पत्र, राजस्व लेखा (पालिसीधारकों का लेखा), प्राप्तियों और संदायों का लेखा (नकदी आदान-प्रदान विवरण) और लाभ तथा हानि लेखा (शेयरधारकों का लेखा), आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों के अनुरूप उस विस्तार तक होगा, जहां तक जीवन बीमा कारबार को चलाने वाले बीमाकर्ताओं को लागू हो, सिवाय इसके कि :-

(i) लेखा मानक 3 (ले.मा. 3)—नकदी आदान-प्रदान विवरण—नकदी आदान-प्रदान विवरण प्रत्यक्ष पद्धति के अधीन ही तैयार किया जाएगा।

(ii) लेखा मानक 17 (ले.मा. 17)—खंडीय रिपोर्ट करना—उसमें उल्लिखित सूचीबद्धता और व्यापारावर्त के संबंध में अपेक्षाओं के होते हुए भी सभी बीमाकर्ताओं को लागू होगा।

2. प्रीमियम-प्रीमियम को, जब शोध्य हो, आय के रूप में माना जाएगा। सहबद्ध कारबार के लिए संदाय की देय तारीख वह तारीख मानी जाएगी, जब सहयुक्त एककों का सृजन किया जाता है।

3. अर्जन लागत-अर्जन लागतें, यदि कोई हों, उस अवधि में खर्च की जाएंगी जिसमें वे उपगत हुई हों।

अर्जन लागतें वे लागतें हैं जो नए और नवीकरण बीमा संविदाओं के अर्जन से भिन्न और मुख्यतः उससे संबंधित हों। अत्यावश्यक परीक्षण बीमा संविदाओं (अर्थात्, जोखिम का प्रारंभ) की लागतें और उनके निष्पादन के बीच आबद्धकर संबंध हैं।

4. दावों की लागत-दावों की अंतिम लागत के अन्तर्गत बीमा फायदा रकम और विनिर्दिष्ट दावों के निपटारे की लागतें, जहां कहीं लागू हों, आएंगी।

5. बीमांकिक मूल्यांकन-जीवन पालिसियों का दायित्व-जीवन पालिसियों के विरुद्ध दायित्व का अनुमान जीवन बीमा कारबार के अपने वार्षिक अन्वेषण के अनुसार बीमाकर्ता के नियत बीमांकिक द्वारा अवधारित किया जाएगा। बीमांकिक धारणाएं लेखा के टिप्पणों के रूप में प्रकट की जानी हैं।

दायित्व इस प्रकार प्रमाणित किया जाएगा कि भावी प्रीमियम संदायों और विनिधान आय के साथ बीमाकर्ता सभी भावी दावों (जिनके अन्तर्गत पालिसीधारकों की बोनस हकदारियां भी हैं) और व्ययों को पूरा कर सके।

6. विनिधानों के मूल्यों को अवधारित करने की प्रक्रिया—कोई भी बीमाकर्ता निम्नलिखित रीति में विनिधानों का मूल्य अवधारित करेगा :-

(क) स्थावर संपदा—विनिधान संपत्ति—विनिधान संपत्ति का मूल्य प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार पुनर्मूल्यांकन के अधीन रहते हुए, पूर्व की लागत पर अवधारित किया जाएगा। विनिधान संपत्ति की अग्रनयन रकम में परिवर्तन पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में ले जाया जाएगा।

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर निर्धारित करेगा कि क्या विनिधान संपत्ति का कोई ह्रास हुआ है।

स्थवर संपदा की अग्रनयन रकम में परिवर्तनों के कारण हुए लाभों/हानियों को "पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति" के अधीन शेषों में ले जाया जाएगा। यथास्थिति, विनिधानों के विक्रय पर लाभ" या "विनिधानों के विक्रय पर हानि" में किसी विशिष्ट संपत्ति के संबंध में "पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति" शीर्षक के अधीन शेषों में पूर्वतः मान्यता प्राप्त अग्रनयन रकम में संचित परिवर्तन सम्मिलित होंगे और उस संपत्ति के विक्रय पर सुसंगत राजस्व लेखा या लाभ और हानि लेखा में पुनः चक्रण होने के कारण होंगे।

पुनर्मूल्यांकन के आधार लेखाओं के टिप्पणों में प्रकट किए जाएंगे। प्राधिकरण पालिसीधारकों को बोनस घोषित करने के लिए पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से निर्मुक्त किए जाने के लिए रकम विनिर्दिष्ट करते हुए निदेश जारी कर सकेगा। शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उस रकम को छोड़कर, जो प्राधिकरण के निदेश के अनुसार पालिसीधारकों के लिए निर्मुक्त की जाती है, कोई अन्य रकम पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति लेखा में से शेषरधारकों को वितरित नहीं की जाएगी।

कोई ह्रास हानि तत्काल राजस्व/लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में मान्य होगी, जब तक कि आस्ति पुनर्मूल्यांकित रकम में नहीं ले जाई जाती है। किसी पुनर्मूल्यांकित आस्ति की कोई ह्रास हानि उस आस्ति की पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में मानी जाएगी और यदि ह्रास हानि तत्स्थानी पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से अधिक हो जाती है तो ऐसा आधिक्य राजस्व/लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में मान्य होगा।

(ख) ऋण प्रतिभूतियां—ऋण प्रतिभूतियां, जिनके अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियां और मोचनीय अधिमानी शेषर हैं, "परिपक्वता तक धारित" प्रतिभूतियों के रूप में मानी जाएंगी और क्रमिक अपाकरण के अधीन रहते हुए, ऐतिहासिक लागत पर मापी जाएंगी।

(ग) शेषर प्रतिभूतियां और व्युत्पन्नी लिखतें, जिनका सक्रिय बाजारों में व्यापार किया जाता है—सूचीबद्ध साधारण प्रतिभूतियां और व्युत्पन्नी लिखतें, जिनका सक्रिय बाजारों में व्यापार किया जाता है, तुलन-पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर मापी जाएंगी। उचित मूल्य की गणना करने के प्रयोजन के लिए उन स्टॉक एक्सचेंजों में, जहां प्रतिभूतियां सूचीबद्ध की जाती हैं, अंतिम कोट की गई बंद कीमत का निम्नतम लिया जाएगा।

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को निर्धारित करेगा कि क्या सूचीबद्ध साधारण प्रतिभूति(यां)/व्युत्पन्नी लिखत(1) का कोई ह्रास हुआ है।

एक सक्रिय बाजार से एक ऐसा बाजार अभिप्रेत है, जहां व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियां एक ही प्रकार की हों, इच्छुक क्रेताओं और इच्छुक विक्रेताओं की उपलब्धता सामान्य हो तथा मूल्य खुले आम उपलब्ध हों।

सूचीबद्ध साधारण शेषरों और व्युत्पन्नी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अप्राप्त लाभों/हानियों को "उचित मूल्य परिवर्तन लेखा" शीर्षक के अधीन शेषरों में ले जाया जाएगा। यथास्थिति, "विनिधानों के विक्रय पर लाभ" या "विनिधानों के विक्रय पर हानि" किसी विशिष्ट प्रतिभूति के संबंध में "उचित मूल्य परिवर्तन लेखा" शीर्षक के अधीन शेषरों

में पूर्वतः मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में संचित परिवर्तन सम्मिलित होंगे और उस सूचीबद्ध प्रतिभूति के वास्तविक विक्रय पर सुसंगत राजस्व लेखा या लाभ और हानि लेखा में पुनः चक्रण होने के कारण होंगे।

प्राधिकरण पालिसीधारकों को बोनस के रूप में घोषणा करने के लिए उचित मूल्य परिवर्तन लेखा से निर्मुक्त की जाने वाली रकम विनिर्दिष्ट करते हुए निदेश जारी कर सकेगा। शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उस रकम को छोड़कर, जो प्राधिकरण के निदेश के अनुसार पालिसीधारकों के लिए निर्मुक्त की जाती है, कोई अन्य रकम उचित मूल्य परिवर्तन लेखा में से शेयरधारकों को वितरित नहीं की जाएगी। उचित मूल्य परिवर्तन लेखा में कोई भ्रष्ट अतिशेष भी लाभांश घोषित करते समय लाभ/खुली आरक्षितियों से कम किया जाएगा।

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर निर्धारित करेगा कि क्या कोई ह्रास हुआ है। कोई ह्रास हानि उस विस्तार तक राजस्व/लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में मान्य होगी, जिस तक प्रतिभूति/विनिधान के पुनः मापित उचित मूल्य और राजस्व/लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में मान्य किसी पूर्व ह्रास हानि को कम करके, उसकी अर्जन लागत के बीच अन्तर है। ह्रास हानि का कोई उलटाव, जो राजस्व/लाभ और हानि लेखा में पहले मान्य हो, राजस्व/लाभ और हानि लेखा में मान्य होगा।

(घ) असूचीबद्ध और सक्रिय रूप में व्यापार की जाने वाली साधारण प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नी लिखतों से भिन्न-असूचीबद्ध प्रतिभूतियां और व्युत्पन्नी लिखतें तथा सूचीबद्ध साधारण प्रतिभूतियां और व्युत्पन्नी लिखतें, जिनका सक्रिय बाजार में नियमित रूप में व्यापार नहीं किया जाता है, ऐतिहासिक लागत पर मापी जाएंगी। ऐसी लिखतों के मूल्य में कमी के लिए उपबंध किया जाएगा। इस प्रकार किया गया उपबंध पश्चातवर्ती अवधियों में उलट दिया जाएगा यदि बाहरी साक्ष्य पर आधारित अनुमान उसकी अग्रनयन रकम पर विनिधान के मूल्य में कोई वृद्धि दर्शित करते हैं। विनिधान की बड़ी हुई अग्रनयन रकम उपबंध के उलटाव के कारण ऐतिहासिक लागत से अधिक नहीं होगी।

इस विनियम के प्रयोजनों के लिए कोई प्रतिभूति सक्रिय रूप में व्यापार की गई नहीं समझी जाएगी यदि भारतीय प्रतिभूति एक्सचेंज बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित पारस्परिक निधियों को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार ऐसी कोई प्रतिभूति "कम व्यापार की जाने वाली" के रूप में वर्गीकृत है।

7. उधार-उधार, ह्रास उपबंधों के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापित होंगे। बीमाकर्ता अपनी उधार आस्तियों की क्वालिटी को निर्धारित करेगा और ह्रास के लिए उपबंध करेगा। ह्रास का उपबंध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विहित उन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर व्युत्पन्न रकमों से निम्नतर नहीं होगा, जो कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को लागू होता है।

8. सहबद्ध कारबार-विनिधानों के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए गए लेखा सिद्धान्त ऊपर प्रगणित सिद्धान्तों के अनुरूप होंगे। सहबद्ध कारबारों की प्रत्येक पृथक् की गई निधि के लिए वित्तीय विवरणों का एक पृथक् सेट उपाबद्ध किया जाएगा। पृथक् की गई निधियां उन पालिसीधारकों के विनिर्दिष्ट विनिधान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लेखाओं में बनाए रखी जाने वाली निधियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो विनिधान जोखिम उठाते हैं। विनिधान आय/लाभ और हानियां साधारणतः पालिसीधारकों को प्रत्यक्षतः होती हैं। प्रत्येक लेखा की आस्तियां पृथक् की जाती हैं और बीमाकर्ता के किसी अन्य कारबार से उत्पन्न दावों के अधीन नहीं हैं।

9. भावी विनियोजन के लिए निधियां-भावी विनियोजन के लिए निधियां पृथक्तः प्रस्तुत की जाएंगी।

भावी विनियोजन के लिए निधियां उन सभी निधियां का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनका आबंटन या तो पालिसीधारकों को या शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवधारित नहीं किया गया है।

भाग 2

वित्तीय विवरणों के भाग रूप प्रकटन

क. निम्नलिखित तुलन-पत्र के टिप्पणों के रूप में प्रकट किए जाएंगे :

1. समश्रित दायित्व :

- (क) भागतः समादत्त विनिधान
- (ख) बकाया हामीदारी प्रतिबद्धताएं
- (ग) पालिसियों के अधीन से भिन्न दावे, जो ऋण के रूप में अभिस्वीकार नहीं हैं।
- (घ) कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई प्रत्याभूति।
- (ङ) विवादित कानूनी मांगें/दायित्व, जिनके लिए उपबंध नहीं हैं।
- (च) उस विस्तार तक पुनर्बीमा बाध्यताएं, जिनके लिए लेखा उपबंध नहीं हैं।
- (छ) अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाएं)।

2. प्रवृत्त जीवन पालिसियों के लिए दायित्वों के मूल्यांकन के लिए बीमांकिक धारणाएं।

3. भारत में और उसके बाहर कंपनी की आस्तियों में विलसंगम।

4. की गई प्रतिबद्धताएं और उधारों, विनिधानों और स्थिर आस्तियों के बकाया।

5. ऋण प्रतिभूतियों के क्रमिक अपाकरण के आधार।

6. निपटारे गए दावे और तुलनपत्र की तारीख को छह मास से अधिक अवधि के लिए असंदत रहे दावे।

7. विनिधानों के संबंध में संविदाओं का मूल्य :

- (क) क्रय के लिए, जहां परिदान लम्बित है;
- (ख) विक्रय के लिए, जहां संदाय अतिशोध्य है।

8. बीमा कारबार से संबंधित परिचालन व्यय : कारबार के विभिन्न खंडों को व्यय के आर्बेटन का आधार।

9. प्रबंधकीय पारिश्रमिक की संगणना।

10. उन विनिधानों की ऐतिहासिक लागतें, जिन्हें उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

11. विनिधान संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के आधार।

ख. निम्नलिखित लेखा नीतियां वित्तीय विवरणों का एक समेकित भाग रूप होंगी :

1. आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा महत्वपूर्ण सिद्धान्त और नीतियां, जो लेखा सिद्धान्तों के भाग 1 में दी गई हैं। कोई अन्य लेखा नीतियां, जो बीमाकर्ता द्वारा अनुसरित की जाती हैं, आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखा मानक, ले.मा. 1 के अधीन अपेक्षित रीति में कथित की जाएंगी।

2. लेखा नीतियों का कोई भी विचलन, ऐसे विचलन के लिए कारणों सहित पृथक्कृतः प्रकट किया जाएगा।

ग. निम्नलिखित जानकारी भी प्रकट की जाएगी :

1. किसी कानूनी अपेक्षा के अनुसार किए गए विनिधानों की, उसकी रकम, प्रकृति, प्रतिभूति और भारत में और उसके बाहर किन्हीं विशेष अधिकारों सहित पृथक्कृत: प्रकट किया जाना चाहिए;
2. प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार आय की मान्यता के प्रयोजन के लिए अर्जन/अनार्जन करने वाले विनिधानों में पृथक् करना।
3. आस्तियाँ, जो उस सीमा तक स्थानीय विधि के अधीन या अन्यथा निक्षिप्त की जानी अपेक्षित हैं, भारत में या उसके बाहर विरुल्लंगमित हैं।
4. क्षेत्रवार कारबार की प्रतिशतता।
5. उस रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा विहित की जाए, पिछले पांच वर्षों के वित्तीय विवरणों का एक सार।
6. विनिधानों के आबंटन के आधार और पालिसीधारकों के लेखा और शेयरधारकों के लेखा के बीच उन पर आय।
7. लेखा अनुपात, जो प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाए।

भाग 3

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश

1. तुलन-पत्र, राजस्व लेखा, लाभ और हानि लेखा तथा प्राप्ति और संदाय लेखा में दर्शित सभी मदों के लिए ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए तत्स्थानी रकम दी जाएंगी।
2. वित्तीय विवरणों में अंक निकतम हजारों तक पूर्णांकित किए जा सकेंगे।
3. किसी विनिधान के संबंध में प्राप्य ब्याज, लाभांश और किराया सकल रकम में कथित किए जाने चाहिए, स्रोत पर कटौती किए जाने वाले आय-कर की रकम "अग्रिम कर संदत्त और स्रोत पर करों की कटौती" के अधीन सम्मिलित की जानी चाहिए।
4. (I) वित्तीय विवरणों के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "उपबंध" अभिव्यक्ति से नीचे (II) के अधीन रहते हुए, आस्तियों के मूल्य में अवक्षयण, नवीकरण या कमी का उपबंध करने के लिए किसी रकम को अपलिखित करना या प्रतिधारित रखना या ऐसे किसी ज्ञात दायित्व या हानि के लिए, जिसकी रकम पर्याप्त शुद्धता के साथ अवधारित नहीं की जा सकती है, उपबंध करने के लिए ऐसी रकम को प्रतिधारित रखना, अभिप्रेत होगा;

(ख) "आरक्षित" अभिव्यक्ति के अन्तर्गत, यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, आस्तियों के मूल्य में अवक्षयण, नवीकरण या कमी का उपबंध करने के रूप में अपलिखित या प्रतिधारित कोई रकम या किसी ज्ञात दायित्व या हानि का उपबंध करने के रूप में प्रतिधारित ऐसी कोई रकम नहीं आएगी;

(ग) "पूंजी आरक्षित" अभिव्यक्ति के अन्तर्गत लाभ और हानि लेखा के माध्यम से वितरण के लिए मुक्त मानी जाने वाली कोई रकम नहीं जाएगी; और "राजस्व आरक्षित" से पूंजी आरक्षित से भिन्न कोई आरक्षित अभिप्रेत होगी;

(घ) "दायित्व" अभिव्यक्ति के अन्तर्गत संविदाज्ञात व्यय के बारे में सभी दायित्व और सभी विवादित या समाश्रित दायित्व आएंगे।

II. जहां :

(क) कोई रकम आस्तियों के मूल्य में अवक्षयण, नवीकरण या कमी के लिए उपबंध करने के रूप में अपलिखित या प्रतिधारित है; या

(ख) किसी ज्ञात दायित्व या हानि के लिए उपबंध करने के रूप में प्रतिधारित कोई रकम,

उस रकम से अधिक है, जो निदेशकों की राय में इस प्रयोजन के लिए समुचित रूप से आवश्यक है, वहां आधिक्य को आरक्षित के रूप में माना जाएगा न कि उपबंध के रूप में।

5. वहां कंपनी वादाधीन नुकसानी के लिए, उपबंध करेगी जहां प्रबंध की राय है कि पंचाट बीमाकर्ता के विरुद्ध जा सकता है।

6. प्रतिधारित और पुनर्बीमा किए हुए जोखिम के विस्तार को पृथकतः प्रकट किया जाएगा।

7. लाभ और हानि लेखा के किसी नामे पक्ष के अतिशेष को अप्रतिबद्ध आरक्षितियों से कटौती के रूप में दर्शित किया जाएगा तथा अतिशेष, यदि कोई हो, पृथकतः दर्शित किया जाएगा।

भाग 4

प्रबंध रिपोर्ट की विषय-वस्तु

वित्तीय विवरणों के साथ एक प्रबंध रिपोर्ट संलग्न की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रबंध द्वारा निम्नलिखित सम्यक रूप में अधिप्रमाणित होगा :

1. प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण की निरंतर विनिमान्यता के बारे में पुष्टि;
2. प्रमाणन की कानूनी प्राधिकारियों को संदेय सभी शोध सम्यकतः संदत्त किए जा चुके हैं;
3. इस आशय की पुष्टि कि शेयरधारण की पद्धति और वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अंतरण कानूनी या विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार हैं;
4. घोषणा कि प्रबंध ने भारत में जारी की गई पालिसियों के धारकों की निधियों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारत के बाहर विनिहित नहीं किया है;
5. पुष्टि कि अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता अन्तर को बनाए रखा गया है;
6. इस आशय का प्रमाणन कि सभी आस्तियों के मूल्य तुलन पत्र की तारीख को पुनर्विलोकित किए गए हैं और यह कि उस के (बीमाकर्ता के) विश्वास में तुलनपत्र में दर्शित आस्तियां, रकमों में कुल मिलाकर दिखाई गई हैं, जो अनेक शीर्षकों—“उधार”, “विनिधान”, “अधिकर्ता अतिशेष”, “बकाया प्रीमियम”, “ब्याज, लाभांश और बकाया किराया”, “प्रोद्भूत किन्तु शोध नहीं, ब्याज, लाभांश और किराया”, “बीमा कारबार चलाने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों से शोध्य रकम”, “अन्यान्य ऋणी”, “प्राप्य बिल”, “नकदी” और “अन्य लेखाओं” के अधीन विनिर्दिष्ट अनेक मदों के अधीन उनके वसूली योग्य या बाजार मूल्य से अधिक नहीं हैं;
7. इस आशय का प्रमाणन कि जीवन बीमा निधि का कोई भी भाग जीवन बीमा निधियों के उपयोजन और विनिधान से संबंधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपयोग नहीं किया है;
8. सम्पूर्ण जोखिम अरक्षण और उसको कम करने के लिए अपनाई गई युक्ति के बारे में प्रकटन;
9. अन्य देशों में कार्यचालन, यदि कोई हो, एक पृथक विवरण के साथ, जिसमें देश संबंधी जोखिम और अरक्षण जोखिम संबंधी प्रबंध का अनुमान और अपनाई गई बचाव युक्ति बताएं;
10. दावों की आयु, जिसमें पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान औसत में दावा निपटारा समय के रुख को उपदर्शित करें;

11. इस आशय का प्रमाणन कि कैसे विनिधानों और स्टॉक तथा शेयरों का मूल्य, जो तुलनपत्र में दर्शित है, निकाला गया है और कैसे उसका बाजार मूल्य इस प्रकार दर्शित मूल्यों के साथ तुलना के प्रयोजन के लिए अभिनिश्चित किया गया है;

12. पोर्टफोलियो के अनुसार, अर्थात् स्थावर संपदा, उधार, विनिधान आदि के अनुसार पृथक् रूप में, आस्ति की क्वालिटी और विनिधान के कार्यकरण का पुनर्विलोकन।

13. एक उत्तरदायित्व विवरण जिसमें निम्नलिखित उपदर्शित करते हुए कि—

(क) वित्तीय विवरणों के तैयार करने में, लागू लेखा मानकों, सिद्धान्तों और नीतियों का, सारवान विचलन, यदि कोई हो, के संबंध में उचित स्पष्टीकरणों के साथ, अनुसरण किया गया है।

(ख) प्रबंध ने लेखा नीतियों को अंगीकार किया है और उन्हें निरंतर उपयोग किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं, जो समुचित और प्रबुद्ध हैं जिससे कि वित्तीय वर्ष के अन्त में कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति का और परिचालन लाभ या हानि का तथा वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि का उचित और सही परिदृश्य प्रस्तुत करे;

(ग) प्रबंध ने कंपनी की आस्तियों के रक्षोपाय करने के लिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण और उनका पता लगाने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)/कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के लागू उपबंधों के अनुसार उपर्युक्त लेखा अभिलेखों के बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

(घ) प्रबंध ने चालू समुत्थान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए हैं;

(ङ) प्रबंध ने यह सुनिश्चित किया है कि विद्यमान कारबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति हो और यह प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

14. संदायों की एक समय-सारणी, जो ऐसे व्यष्टियों, फर्मों, कंपनियों और संगठनों के लिए बनाई है जिसमें बीमाकर्ता के निदेशक हितबद्ध हैं।

भाग 5

वित्तीय विवरणों की तैयारी

(1) बीमाकर्ता इस भाग में यथा विहित प्ररूप क-रा.ले., प्ररूप क-ला.हा. और प्ररूप क-तु.प. में राजस्व लेखा (पालिसीधारकों का लेखा), लाभ और हानि लेखा (शेयरधारकों का लेखा) और तुलन-पत्र, जैसा इस भाग में विहित है, तैयार करेगा, या उसके इतना सदृश जितना परिस्थितियां अनुज्ञात करें।

परन्तु बीमाकर्ता नीचे उल्लिखित कारबारों के लिए पृथक्तः राजस्व लेखा और तुलनपत्र तैयार करेगा और निम्नलिखित विस्तार तक ले.मा. 17 का लागू होना उपांतरित हो जाएगा:

(क) सहभागी पालिसियां और गैर सहभागी पालिसियां।

(ख) (i) सहबद्ध कारबार (बी.वि.वि.प्रा. (भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2000 के विनियम 2(i) में यथापरिभाषित);

(ii) सामान्य जीवन, साधारण वार्षिकी, पेन्शन और स्वास्थ्य बीमा के लिए असहबद्ध कारबार पृथक् रूप में;

(ग) भारत के भीतर कारबार और भारत के बाहर कारबार।

(2) बीमाकर्ता आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए ले.मा. 3-“नकदी आदान-प्रदान विवरण” में विहित प्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार पृथक् प्राप्तियां और संदाय लेखा तैयार करेगा।

प्ररूप क-रा.ले.

बीमाकर्ता का नाम :

रजिस्ट्रीकरण सं. और बी.वि.वि.प्रा. के पास रजिस्ट्रीकरण की तारीख

31 मार्च, 20..... को समाप्त हुए वर्ष का राजस्व लेखा

पालिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विशिष्टियां	अनुसूची	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
अर्जित प्रीमियम-शुद्ध			
(क) प्रीमियम	1		
(ख) अध्यापित पुनर्बीमा			
(ग) स्वीकृत पुनर्बीमा			
विनिधानों से आय			
(क) ब्याज, लाभांश और किराया-सकल			
(ख) विनिधानों के विक्रय/मोचन पर लाभ			
(ग) विनिधानों के विक्रय/मोचन पर हानि			
(घ) अन्तरण/पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/उचित मूल्य में परिवर्तन*			
अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			
योग (क)			
कमीशन	2		
बीमा कारबार संबंधी परिचालन व्यय	3		
संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध			
सूखत ऋण अपलिखित			
कर के लिए उपबंध			
उपबंध (कराधान से भिन्न)			
(क) विनिधानों के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध)			
(ख) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
योग (ख)			
संदत फायदे (शुद्ध)	4		
संदत अंतरिम बोनस			
जीवन पालिसियों के बारे में दायित्व के मूल्यांकन में परिवर्तन			
(क) सकल**			
(ख) पुनर्बीमा में अध्यापित रकम			
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकार रकम			
योग (ग)			
अधिशेष/(कमी) घ = (क) - (ख) - (ग)			
विनियोजन			
शेयरधारकों के लेखा में अन्तरण			
अन्य आरक्षितियों में अन्तरण (विनिर्दिष्ट करें)			
अतिशेष, जो भावी विनियोजनों के लिए निधियां होंगी			
योग (घ)			

टिप्पण :

* प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मापमानों के अनुसार वसूल किए गए समझे गए लाभ दर्शित करता है।

** बोनस के आबंटन के पश्चात् गणितीय आरक्षितियां दर्शित करता है।

कुल अधिशेष निम्नलिखित व्योरे के साथ पृथक्कृत प्रकट किया जाएगा :

(क) संदत अन्तरिम बोनस:

(ख) पालिसीधारकों को बोनस का आबंटन:

(ग) राजस्व लेखा में दर्शित अधिशेष:

(घ) कुल अधिशेष: [(क)+(ख)+(ग)]

प्ररूप क-ला.हा. के अन्त में उपाबद्ध टिप्पणों को देखें।

प्ररूप क-ला. हा.

बीमाकर्ता का नाम :

रजिस्ट्रीकरण सं. और बी.वि.वि.प्रा. के पास रजिस्ट्रीकरण की तारीख

31 मार्च, 20..... को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

शेयरधारकों का लेखा (गैर तकनीकी लेखा)

विशिष्टियां	अनुसूची	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
पालिसीधारकों के लेखा (तकनीकी लेखा) से/को अन्तरित रकमें			
विनिधानों से आय			
(क) ब्याज, लाभांश और किराया-सकल			
(ख) विनिधानों के विक्रय/मोचन पर लाभ			
(ग) विनिधानों के विक्रय/मोचन पर हानि			
अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			
कुल (क)			
बीमा कारबार से संबंधित से धिन्न व्यय			
अपलिखित बृद्धत ऋण			
उपबंध (कराधान से धिन्न)			
(क) विनिधानों के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध)			
(ख) संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध			
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
कुल (ख)			
कर के पूर्व लाभ/(हानि)			
कराधान के लिए उपबंध			
कर के पश्चात् लाभ/(हानि)			
विनियोजन			
(क) वर्ष के आरंभ में अतिशेष			
(ख) वर्ष के दौरान संदत्त अन्तरिम लाभांश			
(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश			
(घ) कर पर लाभांश वितरण			
(ङ) आरक्षितियों को अन्तरण/अन्य लेखा (विनिर्दिष्ट करें)			
तुलन-पत्र को अग्रणीत लाभ			

प्ररूप क-रा.ले. और क-ला.हा. के टिप्पण :

- (क) भारत में और भारत के बाहर किए गए कारबार से प्राप्त प्रीमियम आय पृथक्कृत: प्रकट की जाएगी।
- (ख) पुनर्बीमा प्रीमियम, चाहे अध्यापित या स्वीकृत कारबार पर हो, पुनर्बीमा प्रीमियमों के शेषों के अधीन सकल (अर्थात् कमीशन की कटौती के पूर्व) लेखा में लाए जाएंगे।
- (ग) उपगत दावों के अन्तर्गत संदत्त दावे, विशिष्ट दावे निपटारा लागत, जहां कहीं लागू हो, और वर्ष के अन्त में दावों के लिए बकाया उपबंध में परिवर्तन आएगा।
- (घ) कुल प्रीमियमों (पुनर्बीमा को कम करके) या 5,00,000 रुपए, इनमें से जो भी अधिक हो, के एक प्रतिशत के आधिक्य में व्यय और आय की मदें पृथक् पंक्ति मद के रूप में दर्शित की जाएंगी।
- (ङ) दावों से संबंधित फीस और व्यय, दावों में सम्मिलित होंगे।
- (च) "अन्य" उपशीर्ष के अधीन विदेशी मुद्रा जैसी मदों में लाभ या हानियां और अन्य मदें सम्मिलित की जाएंगी।
- (छ) किसी विनिधान के संबंध में प्राप्य ब्याज, लाभांश और किराया सकल रकम के रूप में कथित किया जाना चाहिए, स्रोत पर कटौती किए गए आय कर की रकम को "अग्रिम कर संदत्त और स्रोत पर कटौती किए गए कर" के अधीन सम्मिलित किया जा रहा है।
- (ज) किराए से आय में केवल प्राप्त किराया सम्मिलित होगा। इसमें कोई काल्पनिक किराया सम्मिलित नहीं होगा।

प्ररूप क-तु.प.

बीमाकर्ता का नाम :

रजिस्ट्रीकरण सं. और बी.वि.वि.प्रा. के पास रजिस्ट्रीकरण की तारीख

31 मार्च, 20..... को तुलन-पत्र

विशिष्टियां	अनुसूची	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
निधियों के स्रोत			
शेयरधारकों की निधियां			
शेयर पूंजी	5		
आरक्षितियां और अतिशेष	6		
जमा/(विकसन) उचित मूल्य परिवर्तन लेखा			
उप-योग			
उधार (लेना)	7		
पालिसीधारकों की निधि			
जमा/(विकसन) उचित मूल्य परिवर्तन लेखा			
पालिसी दायित्व			
बीमा आरक्षितियां			
सहबद्ध दायित्वों के लिए उपबंध			
उप-योग			
भावी विनियोजनों के लिए निधियां			
योग			
निधियों का उपयोग			
विनिधान			
शेयरधारकों का	8		
पालिसीधारकों का	8क		
सहबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिए धारित आस्तियां	8ख		
उधार (देना)	9		
स्थिर आस्तियां	10		
चालू आस्तियां			
नकदी और बैंक अतिशेष	11		
अग्रिम और अन्य आस्तियां	12		
उप-योग (क)			
चालू दायित्व	13		
उपबंध	14		
उप-योग (ख)			
शुद्ध चालू आस्तियां (ग) = (क - ख)	15		
प्रकीर्ण व्यय (उस विस्तार तक जो अपलिखित या समायोजित नहीं किए गए हैं)			
लाभ और हानि लेखा में नामे पक्ष का अतिशेष (शेयरधारकों का लेखा)			
योग			

समाश्रित दायित्व

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	भागतः समादत्त विनिधान		
2.	पालिसियों के विरुद्ध से भिन्न दावे, जो कंपनी द्वारा ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं		
3.	बकाया हामीदारी प्रतिबद्धताएं (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में)		
4.	कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई प्रत्याभूति		
5.	विवादित कानूनी मांगें/दायित्व, जिनके लिए उपबंध नहीं है		
6.	उस विस्तार तक पुनर्बीमा बाध्यताएं जिस तक लेखा में उपबंध नहीं है		
7.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

वित्तीय विवरणों के माग रूप अनुसूचियां

अनुसूची-1

प्रीमियम

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	प्रथम वर्ष प्रीमियम		
2.	नवीकरण प्रीमियम		
3.	एकल प्रीमियम		
	कुल प्रीमियम		

अनुसूची-2

कमीशन व्यय

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
	संदत्त कमीशन		
	सीधे - प्रथम वर्ष प्रीमियम		
	- नवीकरण प्रीमियम		
	- एकल प्रीमियम		
	जोड़िए : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन		
	घटाइए : अध्वर्षित पुनर्बीमा पर कमीशन		
	शुद्ध कमीशन		

टिप्पण :

लाभ/कमीशन, यदि कोई हो, स्वीकृत पुनर्बीमा या अध्वर्षित पुनर्बीमा आंकड़ों के साथ सम्मिलित किए जाएंगे।

अनुसूची - 3

बीमा कारबार संबंधी परिचालन व्यय

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	कर्मचारियों का पारिश्रमिक और कल्याण प्रसुविधाएं		
2.	यात्रा, परिवहन और यान परिचालन व्यय		
3.	प्रशिक्षण व्यय		
4.	किराया, रेंट और कर		
5.	मरम्मत		
6.	मुद्रण और लेखन सामग्री		
7.	संचार व्यय		
8.	बिधिक और व्यावसायिक प्रभार		
9.	विकित्सा फीस		
10.	लेखापरीक्षक की फीस, व्यय आदि		
	(क) लेखापरीक्षक के रूप में		
	(ख) निम्नलिखित के संबंध में सलाहकार या किसी अन्य हैसियत में—		
	(i) कराधान के विषयों		
	(ii) बीमा के विषयों		
	(iii) प्रबंध के विषयों, और		
	(ग) किसी अन्य हैसियत में		
11.	विज्ञापन और प्रचार		
12.	ब्याज और बैंक प्रभार		
13.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
14.	अवक्षेपण		
	योग		

टिप्पण : कुल प्रीमियमों (पुनर्बीमा को कम करके) या 5,00,000 रुपए इन में से जो भी अधिक हो, के एक प्रतिशत के आधिक्य में व्यय और आय की मदें पृथक पंक्ति मद के रूप में दर्शित की जाएंगी।

अनुसूची - 4

संदत्त प्रसुविधाएं (शुद्ध)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	बीमा दावे : (क) मृत्यु से दावे, (ख) परिपक्वता से दावे, (ग) वार्षिकी/पेंशन संदाय, (घ) अन्य प्रसुविधाएं, विनिर्दिष्ट करें,		
2.	पुनर्बीमा में अध्वर्पित रकम (क) मृत्यु से दावे, (ख) परिपक्वता से दावे, (ग) वार्षिकी/पेंशन संदाय, (घ) अन्य प्रसुविधाएं, विनिर्दिष्ट करें,		
3.	पुनर्बीमा में स्वीकृत रकम (क) मृत्यु से दावे, (ख) परिपक्वता से दावे, (ग) वार्षिकी/पेंशन संदाय, (घ) अन्य प्रसुविधाएं, विनिर्दिष्ट करें,		
	योग		

टिप्पण : (क) दावों में विनिर्दिष्ट दावे निपटारा लागते, जहां कहीं लागू हों, सम्मिलित हैं।

(ख) विधिक तथा अन्य फीस और व्यय भी दावा लागतों के, जहां कहीं लागू हों, भाग रूप होंगे।

अनुसूची - 5

शेयर पूंजी

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	प्राधिकृत पूंजी		
	 रुपये का प्रत्येक साधारण शेयर		
2.	पुरोधत पूंजी		
	 रुपये का प्रत्येक साधारण शेयर		
3.	प्रतिश्रुत पूंजी		
	 रुपये का प्रत्येक साधारण शेयर		
4.	आहूत पूंजी		
	 रुपये का प्रत्येक साधारण शेयर		
	घटाइए : असंदत मांग		
	जोड़िए : प्रतिसंहत शेयर (मूलतः समादत रकम)		
	घटाइए : क्रय द्वारा वापस लिए गए साधारण शेयरों का सममूल्य		
	घटाइए : प्रारंभिक व्यय व्यय जिनके अन्तर्गत शेयरों की हामीदारी या प्रतिश्रुति पर कमीशन या दलाली सम्मिलित है		
	योग		

टिप्पण :

- (क) पूंजी के भिन्न-भिन्न वर्गों की विशिष्टियां पृथक्तः कथित की जानी चाहिए।
 (ख) बोनस शेयरों को निर्गमित करने के कारण पूंजीकृत रकम प्रकट की जानी चाहिए।
 (ग) यदि पूंजी का कोई भाग नियंत्री कंपनी द्वारा धारित है तो वह पृथक् रूप में प्रकट किया जाना चाहिए।

अनुसूची - 5क

शेयर धारण की पद्धति (प्रबंध द्वारा यथा प्रमाणित)

शेयरधारक	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	शेयरों की सं.	धृति का %	शेयरों की सं.	धृति का %
संप्रवर्तक				
● भारतीय				
● विदेशी				
अन्य				
योग				

अनुसूची - 6

आरक्षितियां और अधिशेष

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	पूंजी आरक्षिति		
2.	पूंजी मोचन आरक्षिति		
3.	शेयर प्रीमियम		
4.	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति		
5.	साधारण आरक्षितियां		
	घटाइए : लाभ और हानि लेखा में विकलन अधिशेष, यदि कोई हो		
	घटाइए : क्रम द्वारा वापस लिए जाने के लिए उपयोग की गई रकम		
6.	विरपात आरक्षिति		
7.	अन्य आरक्षितियां (विनिर्दिष्ट करें)		
8.	लाभ और हानि लेखा में लाभ का अधिशेष		
	योग		

टिप्पण : आरक्षितियों में परिवर्धन या उनसे कटौती विनिर्दिष्ट शीर्षों में से प्रत्येक के अधीन प्रकट की जाएगी।

अनुसूची - 7

उधार लेना

	विविधियाँ	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	डिबेंचर/बंधपत्र		
2.	बैंक		
3.	वित्तीय संस्थाएं		
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

टिप्पण :

(क) वह विस्तार, जिस तक उधार लेना प्रतिभूत है, प्रत्येक उप-शीर्ष के अधीन प्रतिभूति की प्रकृति कथित करते हुए पृथकतः प्रकट किया जाएगा।

(ख) तुलनपत्र की तारीख से 12 मास के भीतर शोध्द रकमें पृथकतः दर्शित की जानी चाहिए।

अनुसूची - 8

विनिधान-शेयरधारक

	विविधियाँ	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
	दीर्घकालिक विनिधान		
1.	सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्र, जिनके अन्तर्गत खजाना रुझियाँ हैं		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3.	अन्य विनिधान		
	(क) शेयर		
	(कक) साधारण		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) पारस्परिक निधियाँ		
	(ग) व्युत्पन्नी लिखतें		
	(घ) डिबेंचर/बंधपत्र		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		
	(च) समनुषंगी		
	विनिधान संपत्तियाँ-स्थायर संपदा		
4.	अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में विनिधान		
5.	अनुमोदित विनिधानों से भिन्न		
	अल्पकालिक विनिधान		
1.	सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्र, जिनके अन्तर्गत खजाना रुझियाँ हैं		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3.	अन्य विनिधान		
	(क) शेयर		
	(कक) साधारण		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) पारस्परिक निधियाँ		
	(ग) व्युत्पन्नी लिखतें		
	(घ) डिबेंचर/बंधपत्र		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		
	(च) समनुषंगी		
	विनिधान संपत्तियाँ-स्थायर संपदा		
4.	अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में विनिधान		
5.	अनुमोदित विनिधानों से भिन्न		
	योग		

टिप्पण : अनुसूची 8ख के अन्त में उपाबद्ध टिप्पणों को देख।

अनुसूची - 8क

विनिधान-पालिसीधारक

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
	दीर्घकालिक विनिधान		
1.	सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्र, जिनके अन्तर्गत खजाना हुंडियां हैं		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3.	अन्य विनिधान		
	(क) शेयर		
	(कक) साधारण		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) पारस्परिक निधियां		
	(ग) व्युत्पन्नी लिखतें		
	(घ) डिबेंचर/बंधपत्र		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियां (विनिर्दिष्ट करें)		
	(च) समनुषंगी		
	(छ) विनिधान संपत्तियां-स्वावर संपदा		
4.	अवसररचना और सामाजिक क्षेत्र में विनिधान		
5.	अनुमोदित विनिधानों से भिन्न		
	अल्पकालिक विनिधान		
1.	सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्र, जिनके अन्तर्गत खजाना हुंडियां हैं		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3.	अन्य विनिधान		
	(क) शेयर		
	(कक) साधारण		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) पारस्परिक निधियां		
	(ग) व्युत्पन्नी लिखतें		
	(घ) डिबेंचर/बंधपत्र		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियां (विनिर्दिष्ट करें)		
	(च) समनुषंगी		
	(छ) विनिधान संपत्तियां-स्वावर संपदा		
4.	अवसररचना और सामाजिक क्षेत्र में विनिधान		
5.	अनुमोदित विनिधानों से भिन्न		
	योग		

टिप्पण : अनुसूची-8ख के अन्त में उपाबद्ध टिप्पणों को देखें।

अनुसूची - 8ख

सहबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए धारित आस्तियां

	विवरणियां	बालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
	दीर्घकालिक विनिधान		
1.	सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्र, जिनके अन्तर्गत खजाना हुडियां हैं		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3.	अन्य विनिधान		
	(क) शेयर		
	(कक) साधारण		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) पारस्परिक निधियां		
	(ग) व्युत्पन्नी लिखतें		
	(घ) डिबेंचर/बंधपत्र		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियां (विनिर्दिष्ट करें)		
	(च) समनुवर्गी		
	(छ) विनिधान संपत्तियां-स्थायर संपदा		
4.	अवसररचना और सामाजिक क्षेत्र में विनिधान		
5.	अनुमोदित विनिधानों से भिन्न		
	अल्पकालिक विनिधान		
1.	सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्र, जिनके अन्तर्गत खजाना हुडियां हैं		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3.	अन्य विनिधान		
	(क) शेयर		
	(कक) साधारण		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) पारस्परिक निधियां		
	(ग) व्युत्पन्नी लिखतें		
	(घ) डिबेंचर/बंधपत्र		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियां (विनिर्दिष्ट करें)		
	(च) समनुवर्गी		
	(छ) विनिधान संपत्तियां-स्थायर संपदा		
4.	अवसररचना और सामाजिक क्षेत्र में विनिधान		
5.	अनुमोदित विनिधानों से भिन्न		
	योग		

टिप्पण (अनुसूची 8, 8क और 8ख को लागू) :

(क) समनुवर्गी/नियंत्रणी कंपनी, संयुक्त उद्यमों और सहपुक्तों में विनिधान लागत पर पृथक्कृत; प्रकट किया जाएगा।

(i) नियंत्रणी कंपनी और समनुवर्गी का अधिनियम, 1956 में परिभाषित के अनुसार किया जाएगा।

(ii) सह उद्यम एक संविदात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार एक ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप अपने जिम्मे लेते हैं, जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है।

(iii) संयुक्त नियंत्रण किसी आर्थिक क्रियाकलाप से फायदे प्राप्त करने के लिए उसको वित्तीय और परिचालन नीतियों को शासित करने की शक्ति में भाग लेने का संविदात्मक करार है।

(iv) सहयुक्त एक ऐसा उद्यम है, जिसमें कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और जो न तो समनुवर्गी है और न कंपनी का संयुक्त उद्यम है।

(v) महत्वपूर्ण प्रभाव (इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए) से अभिप्रेत है किसी कंपनी की वित्तीय और परिचालन नीति के विनिर्देशों में भाग लेना किन्तु उन नीतियों का नियंत्रण करना नहीं है। महत्वपूर्ण प्रभाव अनेक तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है, उदाहरणार्थ, निदेशक-बोर्ड में प्रतिनिधित्व द्वारा, नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी, सामग्री अन्तर-कंपनी संव्यवहार, प्रबंधकीय कार्मिक आपसी अदस्ता-बदली या तकनीकी जानकारी को निरभरता द्वारा। महत्वपूर्ण प्रभाव शेयर स्वामित्व, कानून या करार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जहां तक शेयर स्वामित्व का संबंध है, यदि कोई विनिधानकर्ता समनुवर्गी के माध्यम से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधाता की 20 प्रतिशत या अधिक मतदान शक्ति धारण करता है तो यह उपधारणा की जाती है कि विनिधानकर्ता का महत्वपूर्ण प्रभाव है जब तक कि यह स्पष्ट रूप में प्रदर्शित न किया जा सके कि यह बात नहीं है। इसके विपरीत यदि विनिधानकर्ता समनुवर्गी के माध्यम से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधाता की 20 प्रतिशत से कम मतदान शक्ति धारण करता है तो यह उपधारणा की जाती है कि विनिधानकर्ता का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, जब तक कि ऐसा प्रभाव स्पष्टतः प्रदर्शित नहीं किया जाता है। किसी अन्य विनिधानकर्ता द्वारा एक सारमान या बहुसंख्यक स्वामित्व किसी विनिधानकर्ता को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने से आवश्यक तौर पर विवर्जित नहीं करता है।

(ख) सूचीबद्ध साधारण प्रतिभूतियों से भिन्न कंपनी के विनिधानों की कुल रकम और व्युत्पन्नी लिखतें और उनका बाजार मूल्य भी प्रकट किया जाएगा।

(ग) विपत्ति आरक्षित में से किए विनिधान पृथक्कृत; दर्शित किए जाने चाहिए।

(घ) ऋण प्रतिभूतियां "परिपक्वता तक धारित" प्रतिभूतियों के रूप में मानी जाएंगी और क्रमिक अयाकरण के अधीन रहते हुए ऐतिहासिक लागत पर मापी जाएंगी।

(ङ) विनिधान संपत्ति से कोई ऐसी संपत्ति (भूमि या भवन या किसी भवन या दोनों का भाग) अभिप्रेत है जो सेवाओं में उपयोग या प्रशासनिक प्रयोजनों की बजाय किराया आय अर्जित करने या पुंजी अभिवृद्धि के लिए या दोनों के लिए धारित है।

(च) तुलनपत्र की तारीख से बारह मास के भीतर परिपक्व होने वाले विनिधान और तुलनपत्र की तारीख से बारह मास के भीतर व्ययनित करने के विशिष्ट आशय से किए गए विनिधान अल्पकालिक विनिधानों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

अनुसूची - 9

उधार

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	प्रतिभूति-बार वर्गीकरण		
	प्रतिभूत		
	(क) संपत्ति के बंधक पर		
	(कक) भारत में		
	(खख) भारत के बाहर		
	(ख) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि पर		
	(ग) पालिसियों के विरुद्ध उधार		
	(घ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	अप्रतिभूत		
	योग		
2.	उधार लेने वाले के रूप में वर्गीकरण		
	(क) केन्द्रीय और राज्य सरकारें		
	(ख) बैंक और वित्तीय संस्थाएं		
	(ग) समनुषंगी		
	(घ) कंपनियां		
	(ङ) पालिसियों के विरुद्ध उधार		
	(च) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		
3.	कार्य-निष्पादन-बार वर्गीकरण		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत उधार		
	(कक) भारत में		
	(खख) भारत के बाहर		
	(ख) गैर-मानक उधार-कम उपबंध		
	(कक) भारत में		
	(खख) भारत के बाहर		
	योग		
4.	परिपक्वता-बार वर्गीकरण		
	(क) अल्पकालिक		
	(ख) दीर्घकालिक		
	योग		

टिप्पण :

- (क) अल्पकालिक उधारों में वे सम्मिलित हैं जो तुलनपत्र की तारीख से बारह मास के भीतर संदेय हैं। दीर्घकालिक उधार अल्पकालिक उधारों से भिन्न उधार होंगे।
- (ख) गैर-कार्य निष्पादक उधारों के विरुद्ध उपबंध पृथक्कृत दर्शित किया जाएगा।
- (ग) सभी दीर्घकालिक प्रतिभूत उधारों के संबंध में प्रतिभूति की प्रकृति प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट की जाएगी। इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए प्रतिभूत उधारों से कंपनी की किसी आस्ति के विरुद्ध पूर्णतः या भागतः प्रतिभूत उधार अभिप्रेत हैं।
- (घ) संदेहास्पद माने जाने वाले उधार और ऐसे उधारों के विरुद्ध सृजित उपबंध को रकम प्रकट की जाएगी।

अनुसूची - 10

स्थिर आस्तियां

('000 रु.)

विशिष्टियां	लागत/सकल ब्याक				अवक्षमण				शुद्ध ब्याक	
	आरंभिक	अभिवृद्धियां	कटौतियां	बन्द	पिछले वर्ष तक	इस वर्ष के लिए	विक्रय/समायोजन पर	आज	वर्ष के अन्त में	पूर्व वर्ष
गुडविल										
अमूर्त (विनिर्दिष्ट करें)										
भूमि-पूर्ण स्वामित्व										
पट्टा धृति संपत्ति										
भवन										
फर्नीचर और फिटिंगें										
सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर										
यान										
कार्यालय उपस्कर										
अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)										
योग										
प्रगति पर कार्य										
कुल योग										
पूर्व-वर्ष										

टिप्पण : ऊपर भूमि, संपत्ति और भवन में सम्मिलित आस्तियों में अनुसूची 8 के टिप्पण (ऊ) में व्यापारिभाषित विनिधान संपत्तियां सम्मिलित नहीं हैं।

अनुसूची - 11

नकदी और बैंक अतिशेष

	विशिष्टियां	जालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	नकदी (जिसके अन्तर्गत बैंक, ड्राफ्ट और स्टॉप हैं)		
2.	बैंक अतिशेष		
	(क) निक्षेप लेखा		
	(कक) अल्पकालिक (तुलन-पत्र की तारीख के 12 मास के भीतर शोध्य)		
	(खख) अन्य		
	(ख) चालू खाता		
	(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
3.	मांग पर और अल्प सूचना पर धन		
	(क) बैंक के पास		
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास		
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		
	ऊपर 2 और 3 में सम्मिलित गैर अनुसूचित बैंकों के पास अतिशेष		
	नकदी और बैंक अतिशेष		
1.	भारत में		
2.	भारत के बाहर		
	योग		

टिप्पण : बैंक अतिशेष में अभिवृद्धि प्रेषण सम्मिलित हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो प्रकृति और रकम पृथक्कृत: कथित की जाएगी।

अनुसूची - 12

अग्रिम और अन्य आस्तियां

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
	अग्रिम		
1.	अध्ययन कंपनियों के पास आरक्षित निक्षेप		
2.	विनिधानों के लिए आवेदन धन		
3.	पूर्व संदाय		
4.	निदेशकों/अधिकारियों को अग्रिम		
5.	संदत अग्रिम कर और स्रोत पर कटौती किए गए कर (कराधान के लिए उपबंध का शुद्ध)		
6.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग (क)		
	अन्य आस्तियां		
1.	विनिधानों पर उद्भूत आय		
2.	बकाया प्रीमियम		
3.	अभिकर्ताओं के अतिशेष		
4.	विदेशी अभिकरणों के अतिशेष		
5.	बीमा कारबार (जिसके अन्तर्गत पुनर्बीमा भी हैं) चलाने वाले अन्य स्वत्वधारी से शोध्य		
6.	समनुषंगी/नियंत्री कंपनी से शोध्य		
7.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास निक्षेप (बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 7 के अनुसरण में)		
8.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग (ख)		
	योग (क + ख)		

टिप्पण :

(क) उपर्युक्त शीर्षों के अधीन मर्दे संदेहास्पद रकमों के लिए उपबंधों का शुद्ध दर्शित नहीं करेंगे। प्रत्येक शीर्ष के विरुद्ध उपबंध की रकम पृथक्तः दर्शित की जानी चाहिए।

(ख) "अधिकारी" पद कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन दी गई उस पद की परिभाषा के अनुरूप होना चाहिए।

(ग) अन्यान्य ऋणियों को मद 8 (अन्य) के अधीन दर्शित किया जाना चाहिए।

अनुसूची - 13

चालू दायित्व

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	अभिकर्ताओं का अतिशेष		
2.	अन्य बीमा कंपनियों को शोध्य अतिशेष		
3.	अध्ययन पुनर्बीमा पर धारित निक्षेप		
4.	अग्रिम रूप में प्राप्त प्रीमियम		
5.	अनाबंटित प्रीमियम		
6.	अन्यान्य ऋणी		
7.	समनुषंगी/नियंत्री कंपनी को शोध्य		
8.	बकाया दावे		
9.	शोध्य वार्षिकियां		
10.	अधिकारियों/निदेशकों को शोध्य		
11.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

अनुसूची - 14**उपबंध**

	विवरण	वर्तमान वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	कराधान के लिए (कम संदाय और स्रोत पर काटे गए कर)		
2.	प्रस्तावित लाभांश के लिए		
3.	लाभांश वितरण कर के लिए		
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

अनुसूची - 15**प्रकीर्ण व्यय**

(उस विस्तार तक जिस तक अपलिखित या समायोजित नहीं किए गए)

	विवरण	वर्तमान वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	शेयरों/डिबेंचरों के निर्माण में अनुज्ञात छूट		
2.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

टिप्पणी :

(क) "प्रकीर्ण व्यय" शीर्ष के अधीन कोई मद सम्मिलित और अग्रणीत नहीं की जाएगी जब तक कि-

1. व्यय से कुछ फायदा भविष्य में प्राप्त होने की युक्तियुक्त प्रत्याशा न हो सकती हो; और
2. ऐसे फायदे की रकम युक्तियुक्त रूप में अवधारणीय न हो।

(ख) "प्रकीर्ण व्यय" शीर्ष के अधीन सम्मिलित किसी मद के संबंध में अग्रणीत की जाने वाली रकम व्यय से संबंधित प्रत्याशित भावी राजस्व/अन्य फायदों से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची ख
(विनियम 3 देखिए)

भाग 1

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लेखा सिद्धान्त

1. **लेखा मानकों का लागू होना**—किसी बीमाकर्ता का प्रत्येक तुलनपत्र, प्राप्तियों और संदायों का लेखा (नकदी आदान-प्रदान विवरण) और लाभ और हानि लेखा (शेयरधारकों का लेखा), आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों के अनुरूप उस विस्तार तक होगा, जहां तक साधारण बीमा कारबार को चलाने वाले बीमाकर्ताओं को लागू हो, सिवाय इसके कि :-

(i) लेखा मानक 3 (ले.मा. 3) नकदी आदान प्रदान विवरण-नकदी आदान प्रदान विवरण प्रत्यक्ष पद्धति के अधीन ही तैयार किया जाएगा।

(ii) लेखा मानक 13 (ले. मा. 13)—विनिधानों के लिए लेखा लागू नहीं होगा।

(iii) लेखा मानक 17 (ले.मा. 17)—खंडीय रिपोर्ट करना-उसमें उल्लिखित सूचीबद्धता और व्यापारवर्त के संबंध में अपेक्षाओं के होते हुए भी सभी बीमाकर्ताओं को लागू होगा।

2. **प्रीमियम-प्रीमियम संविदा अवधि या जोखिम अवधि के दौरान**, जो भी समुचित हो, आय के रूप में मान्य होगा। अग्रिम रूप में प्राप्त प्रीमियम, जो चालू लेखा अवधि से संबंधित न होने वाली प्रीमियम आय का प्रतिनिधित्व करता है, वित्तीय विवरणों में पृथकतः प्रकट किया जाएगा।

चालू जोखिम के लिए कोई आरक्षित उस लिखित प्रीमियम के उस भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली रकम के रूप में सृजित की जाएगी, जो उत्तरवर्ती लेखा अवधियों के कारण मानी जा सकती है और उन अवधियों के लिए आबंटित की जाएगी और अधिनियम की धारा 64V(1)(ii) (ख) के अधीन अपेक्षित से कम नहीं होगी।

अग्रिम रूप में प्राप्त प्रीमियम, जो जोखिम के प्रारंभ के पूर्व प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है, वित्तीय विवरणों में "चालू दायित्वों" शीर्ष के अधीन पृथकतः दर्शित किया जाएगा।

3. **प्रीमियम की कमी**—प्रीमियम की कमी मान्य होगी यदि प्रत्याशित दावा लागतों, संबंधित व्ययों और अनुरक्षण लागतों की राशि चालू जोखिमों के लिए संबंधित आरक्षित से अधिक हो जाती है।

4. **अर्जन की लागत**—अर्जन की लागतें, यदि कोई हों, उस अवधि में खर्च की जाएंगी जिसमें वे उपगत हुई हों। अर्जन की लागतें वे लागतें हैं, जो नए और नवीकरण बीमा संविदाओं के अर्जन से भिन्न और मुख्यतः उससे संबंधित हों। अत्यावश्यक परीक्षण, बीमा संविदाओं (अर्थात् जोखिम का प्रारंभ) की लागतें और उनके निष्पादन के बीच आबद्धकर संबंध है।

5. **दावे**—किसी बीमाकर्ता के लिए दावों की अंतिम लागत के घटकों में पालिसियों और विनिर्दिष्ट दावों की निपटारा लागतों के अधीन दावों के अन्तर्गत आते हैं। पालिसियों के अधीन दावों में उपगत हानियों के लिए किए गए दावे और कोई हानि होने के बाद जो पालिसियों के अधीन अनुमानित या पूर्वानुमानित हैं, आते हैं।

बकाया दावों का कोई दायित्व, दोनों, प्रत्यक्ष कारबार और आंतरिक पुनर्बीमा कारबार के संबंध में हिसाब में लिया जाएगा। दायित्व में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(क) असंदत रिपोर्ट किए गए दावों के बारे में भावी संदाय;

(ख) उपगत दावे किन्तु रिपोर्ट नहीं किए गए (आई.बी.एन.आर.), जिनके अन्तर्गत अपर्याप्त आरक्षितियां [जिन्हें कई बार उपगत दावे किन्तु पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए कहा जाता है (आई.बी.एन.ई.आर.)] भी हैं;

जिसका परिणाम उन दावों के विरुद्ध दायित्वों को निपटने के लिए नकदी/आस्ति की भविष्य में निकासी होगा। अनुमानित दायित्व में परिवर्तन वित्तीय अवधि के आरंभ और उसके अन्त में बकाया दावों के लिए अनुमानित दायित्व के बीच अन्तर को दर्शाता है।

लेखा प्राक्कलन में अनुमानित कबाड़ मूल्य के लिए समायोजित दावों की लागत भी सम्मिलित होगी यदि उसकी प्राप्ति निश्चितता की संभावना पर्याप्त है।

कुछ मामलों में दावा के दायित्व का बीमांकिक मूल्यांकन

संविदाओं के बारे में किए गए दावे, जहां दावों के संदाय की अवधि चार वर्ष से अधिक हो जाती है, प्राधिकरण द्वारा विहित किए जाने वाले विनियमों के अधीन रहते हुए, किसी बीमांकिक आधार पर मान्य होंगे। ऐसे मामलों में दायित्व निर्धारण के औचित्य के बारे में किसी मान्यताप्राप्त बीमांकिक से प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए। बीमांकिक धारणाएं लेख के टिप्पणों के रूप में उपयुक्ततः प्रकट की जाएंगी।

6. विनिधानों के मूल्य को अवधारित करने की प्रक्रिया-कोई भी बीमाकर्ता निम्नलिखित रीति में विनिधानों का मूल्य अवधारित करेगा :-

(क) स्वाधर संपदा-विनिधान संपत्ति-विनिधान संपत्ति ऐतिहासिक लागत पर मापी जाएगी, जिसमें से संचित अवक्षयण और ह्रास, हानि कम की जाएगी और शेष मूल्य शून्य माना जाएगा तथा कोई पुनर्मूल्यांकन अनुज्ञात नहीं है।

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर निर्धारित करेगा कि क्या विनिधान संपत्ति का कोई ह्रास हुआ है।

कोई ह्रास हानि तत्काल राजस्व/लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में मान्य होगी।

तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य और उसके अवधारण का आधार अतिरिक्त जानकारी के रूप में वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाएगा।

(ख) ऋण प्रतिभूतियां-ऋण प्रतिभूतियां, जिनके अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियां और मोचनीय अधिमानी शेयर हैं, "परिपक्वता तक धारित" प्रतिभूतियों के रूप में मानी जाएंगी और क्रमिक अपाकरण के अधीन रहते हुए, ऐतिहासिक लागत पर मापी जाएगी।

(ग) शेयर प्रतिभूतियां और व्युत्पन्नी लिखतें, जिनका सक्रिय बाजारों में व्यापार किया जाता है-सूचीबद्ध साधारण प्रतिभूतियां और व्युत्पन्नी लिखतें, जिनका सक्रिय बाजारों में व्यापार किया जाता है, तुलन-पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर मापी जाएंगी। उचित मूल्य की गणना करने के प्रयोजन के लिए उन स्टॉक एक्सचेंजों में, जहां प्रतिभूतियां सूचीबद्ध की जाती हैं, अंतिम कोट की गई बंद कीमत का निम्नतम लिया जाएगा।

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलनप-पत्र की तारीख को निर्धारित करेगा कि क्या सूचीबद्ध साधारण प्रतिभूति(यां)/व्युत्पन्नी लिख(तें) का कोई ह्रास हुआ है।

एक सक्रिय बाजार से एक ऐसा बाजार अभिप्रेत है, जहां व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियां एक ही प्रकार की हों, इच्छुक क्रेताओं और इच्छुक विक्रेताओं की उपलब्धता सामान्य हो और मूल्य खुलेआम उपलब्ध हो।

सूचीबद्ध साधारण शेयरों और व्युत्पन्नी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अप्राप्त लाभों/हानियों को "उचित मूल्य परिवर्तन लेखा" शीर्ष के अधीन शेयरों में ले जाया जाएगा और प्राप्ति पर लाभ और हानि लेखा में रिपोर्ट किया जाएगा। यथास्थिति, "विनिधानों के विक्रय पर लाभ" या "विनिधानों के विक्रय पर हानि" किसी विशिष्ट प्रतिभूति के संबंध में "उचित मूल्य परिवर्तन लेखा" शीर्षक के अधीन शेयरों में पूर्व में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में संचित परिवर्तन सम्मित होंगे और उस सूचीबद्ध प्रतिभूति के वास्तविक विक्रय पर सुसंगत राजस्व लेखा या लाभ और हानि लेखा में पुनः चक्रण होने के कारण होंगे।

संदेह को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अतिशेष या उसका कोई भाग लाभांश के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होगा। उक्त उचित मूल्य परिवर्तन लेखा में कोई ऋण अतिशेष भी लाभांश घोषित करते समय लाभ/खुली आरक्षितियों से कम किया जाएगा।

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर निर्धारित करेगा कि क्या कोई ह्रास हुआ है। कोई ह्रास-हानि उस विस्तार तक राजस्व/लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में मान्य होगी, जिस तक प्रतिभूति/विनिधान के पुनः मापित उचित मूल्य और राजस्व/लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में मान्य किसी पूर्व ह्रास हानि को कम करके, उसकी अर्जन लागत के बीच अन्तर है। ह्रास हानि का कोई उलटव, जो राजस्व/लाभ और हानि लेखा में पहले मान्य हो, राजस्व/लाभ और हानि लेखा में मान्य होगा।

(घ) असूचीबद्ध और सक्रिय रूप में व्यापार की जाने वाली साधारण प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नी लिखतों से भिन्न-असूचीबद्ध साधारण प्रतिभूतियां और व्युत्पन्नी लिखतें तथा सूचीबद्ध साधारण प्रतिभूतियां और व्युत्पन्नी लिखतें, जिनका सक्रिय बाजार में नियमित रूप में व्यापार नहीं किया जाता है, ऐतिहासिक लागत पर मापी जाएंगी। ऐसी लिखतों के मूल्य में कमी के लिए उपबंध किया जाएगा। इस प्रकार किया गया उपबंध पश्चात्पूर्ती अवधियों में उलट दिया जाएगा यदि बाहरी साक्ष्य पर आधारित अनुमान उसकी अग्रणीत रकम पर विनिधान मूल्य में कोई वृद्धि दर्शित करते हैं। विनिधानों की बढ़ी हुई अग्रनयन रकम उपबंध के उलटव के कारण ऐतिहासिक लागत से अधिक नहीं होगी।

इस विनियम के प्रयोजन के लिए कोई प्रतिभूति सक्रिय रूप में व्यापार की गई नहीं समझी जाएगी यदि भारतीय प्रतिभूति एक्सचेंज बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित पारस्परिक निधियों को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार ऐसी कोई प्रतिभूति "कम व्यापार की जाने वाली" के रूप में वर्गीकृत है।

7. उधार-उधार, ह्रास उपबंधों के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापे जाएंगे/बीमाकर्ता अपनी उधार आस्तियों की क्वालिटी को निर्धारित करेगा और ह्रास के लिए उपबंध करेगा। ह्रास का उपबंध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विहित उन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर व्युत्पन्न रकमों से निम्नतर नहीं होगा, जो कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को लागू होता है।

8. विपत्ति आरक्षिती-विपत्ति आरक्षिती प्राधिकरण द्वारा विहित सन्नियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सृजित की जाएंगी। विपत्ति आरक्षिती में से निधियों का विनिधान प्राधिकरण के निदेश के अनुसार किया जाएगा।

भाग 2

वित्तीय विवरणों के भाग रूप प्रकटन

क. निम्नलिखित तुलनपत्र के टिप्पणों के रूप में प्रकट किए जाएंगे :

1. समाश्रित दायित्व :

(क) भागतः समादत्त

(ख) बकाया हामीदारी प्रतिबद्धताएं

(ग) पालिसियों के अधीन से भिन्न दावे, जो ऋण के रूप में अभिस्वीकार नहीं हैं

(घ) कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई प्रत्याभूति

(ङ) विवादित कानूनी मांगें/दायित्व, जिनके लिए उपबंध नहीं है

(च) उस विस्तार तक पुनर्बीमा बाध्यताएं, जिनके लिए लेखा उपबंध नहीं है

(छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)।

2. भारत में और उसके बाहर कम्पनी आस्तियों में विल्लंगम।

3. की गई प्रतिबद्धताएं और उधारों, विनिधानों और स्थिर आस्तियों के बकाया।

4. भारत में/भारत के बाहर दावेदारों को संदत्त, पुनर्बीमा को कम करके, दावे।

5. वहां दावों के मामले में दावा दायित्वों के अवधारण के लिए बीमांकिक धारणाएं, जहां दावा संदाय अर्थात् चार वर्ष से बढ़ जाती है।

6. दावों की आयु-छह मास से अधिक के लिए बकाया दावों और अन्य दावों के बीच विभेद करना।

7. भारत में/भारत के बाहर कारबार से लिखित प्रीमियम, पुनर्बीमा को कम करके।

8. प्रवर्ग-बार, उसके लिए आधार और अधिकारिता सहित, जिसके अन्तर्गत क्या बाहरी साक्ष्य पर विश्वास रखा गया है, विभिन्न जोखिम पैटर्न पर आधारित मान्य प्रीमियम आय का विस्तार।

9. विनिधानों के संबंध में संविदाओं का मूल्य :

(ज) क्रय के लिए, जहां परिदान लंबित है;

(झ) क्रय के लिए, जहां संदाय अतिशोध्य है।

10. बीमा कारबार से संबंधित परिचालन व्यय कारबार के विभिन्न खंडों के व्यय के आबंटन के आधार।

11. उन विनिधानों की ऐतिहासिक लागतें, जिन्हें उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

12. प्रबंधकीय पारिश्रमिक की संगणना।

13. ऋण प्रतिभूतियों के क्रमिक अपाकरण के आधार।

14. (क) सूचीबद्ध साधारण शेयरों और व्युत्पन्नी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण उद्भूत अप्राप्त लाभ/हानियों को "उचित मूल्य परिवर्तन लेखा" शीर्ष के अधीन शेयरों में ले जाना है और प्राप्ति की रिपोर्ट करने पर लाभ और हानि लेखा में ले जाना है।

(ख) प्राप्त लंबित रहने तक, “उचित मूल्य परिवर्तन लेखा” में जमा अतिशेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

15. विनिधान संपत्ति का उचित मूल्य और उसके लिए आधार।

16. निपटाय गए दावे और तुलन-पत्र की तारीख को छह मास से अधिक की अवधि के लिए असंदत रहे।

ख. निम्नलिखित लेखा नीतियां वित्तीय विवरणों का एक समेकित भाग रूप होंगी :

1. आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा महत्वपूर्ण सिद्धान्त और नीतियां, जो लेखा सिद्धान्तों के भाग 1 में दी गई हैं। कोई अन्य लेखा नीतियां, जो बीमाकर्ता द्वारा अनुसरित की जाती हैं, आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखा मानक, ले.मा. 1 के अधीन अपेक्षित रीति में कथित की जाएंगी।

2. यथापूर्वोक्त लेखा नीतियों से कोई भी विचलन, ऐसे विचलन के लिए कारणों सहित पृथकतः प्रकट किया जाएगा।

ग. निम्नलिखित जानकारी भी प्रकट की जाएगी :-

1. किसी कानूनी अपेक्षा के अनुसार किए गए विनिधानों को उसकी रकम, प्रकृति, प्रतिभूति और भारत में या उसके बाहर किन्हीं विशेष अधिकारों सहित पृथकतः प्रकट किया जाना चाहिए।

2. प्राधिकरण द्वारा जारी किए निदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार आय की मान्यता के प्रयोजन के लिए अर्जन/अनार्जन करने वाले विनिधानों में पृथक करना।

3. क्षेत्रवार कारबार की प्रतिशतता।

4. उस रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा विहित की जाए, पिछले पांच वर्षों के वित्तीय विवरणों का एक सार।

5. लेखा अनुपात जो प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाए।

6. राजस्व लेखा और लाभ और हानि लेखा के बीच ब्याज, लाभांश और किराया के आबंटन का आधार।

भाग 3

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश

(1) तुलन-पत्र, राजस्व लेखा और लाभ और हानि लेखा में दर्शित सभी मदों के लिए ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए तत्स्थानी रकमें दी जानी चाहिए।

(2) वित्तीय विवरणों में अंक निकटम हजारों तक पूर्णांकित किए जा सकेंगे।

(3) किसी विनिधान के संबंध में प्राप्य व्याज, लाभांश और किराया सकल रकम में कथित किए जाने चाहिए, स्रोत पर कटौती किए जाने वाले आय-कर की रकम अग्रिम कर संदत्त और स्रोत पर करों की कटौती के अधीन सम्मिलित की जानी चाहिए।

(4) किराए से आय को किसी काल्पनिक किराए में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(5) I. वित्तीय विवरणों के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "उपबंध" अभिव्यक्ति से नीचे (II) के अधीन रहते हुए, आस्तियों के मूल्य में अवक्षयण, नवीकरण या ह्रास का उपबंध करने के लिए किसी रकम को अपलिखित करना या प्रतिधारित रखना या ऐसे किसी ज्ञात दायित्व या हानि के लिए, जिसकी रकम पर्याप्त शुद्धता के साथ अवधारित नहीं की जा सकती है, उपबंध करने के लिए ऐसी रकम को प्रतिधारित रखना, अभिप्रेत होगा;

(ख) "आरक्षित" अभिव्यक्ति के अन्तर्गत, यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, आस्तियों के मूल्य में अवक्षयण, नवीकरण या ह्रास का उपबंध करने के रूप में अपलिखित या प्रतिधारित कोई रकम या किसी ज्ञात दायित्व का उपबंध करने के रूप में प्रतिधारित ऐसी कोई रकम नहीं आएगी;

(ग) "पूंजी आरक्षित" अभिव्यक्ति के अन्तर्गत लाभ और हानि लेखा के माध्यम से वितरण के लिए मुक्त मानी जाने वाली कोई रकम नहीं आएगी; और "राजस्व आरक्षित" से पूंजी आरक्षित से भिन्न कोई आरक्षित अभिप्रेत होगी;

(घ) "दायित्व" अभिव्यक्ति के अन्तर्गत संविदाज्ञात व्यय के बारे में सभी दायित्व और सभी विवादित या समाश्रित दायित्व आएंगे।

II. जहां :-

(क) कोई रकम आस्तियों के मूल्य में अवक्षयण, नवीकरण या ह्रास के लिए उपबंध करने के रूप में अपलिखित या प्रतिधारित है; या

(ख) किसी ज्ञात दायित्व के लिए उपबंध करने के रूप में प्रतिधारित कोई रकम;

उस रकम से अधिक है, जो निदेशकों की राय में इस प्रयोजन के लिए समुचित रूप से आवश्यक है, वहां आधिक्य को इन लेखाओं के प्रयोजनों के लिए आरक्षित के रूप में माना जाएगा न कि उपबंध के रूप में।

(6) वहां कंपनी वादाधीन नुकसानी के लिए, उपबंध करेगी जहां प्रबंध की राय है कि पंचाट बीमाकर्ता के विरुद्ध आरक्षित रकम को

(7) प्रतिधारित और पुनर्बीमा किए हुए जोखिम के विस्तार को पृथकतः प्रकट किया जाएगा।

(8) लाभ और हानि लेखा के किसी नामे पक्ष के अतिशेष को अप्रतिबद्ध आरक्षितियों से कटौती के रूप में दर्शित किया जाएगा; तथा अतिशेष, यदि कोई हो, पृथकतः दर्शित किया जाएगा।

भाग 4

प्रबंध रिपोर्ट की विषय-वस्तु

वित्तीय विवरणों के साथ एक प्रबंध रिपोर्ट संलग्न की जाएगी, जिसमें अन्य-अन्य बातों के साथ-साथ प्रबंध द्वारा निम्नलिखित सम्यक् रूप में अधिप्रमाणित होगा :

1. प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण की निरंतर विधिमान्यता के बारे में पुष्टि;
2. यह प्रमाणन कि कानूनी प्राधिकारियों को संदेय सभी शोध्य समयकतः संदत्त किए जा चुके हैं;
3. इस आशय की पुष्टि कि शेयरधारण की पद्धति और वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अन्तरण कानूनी या विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार है;
4. यह घोषणा कि प्रबंध ने भारत में जारी की गई पालिसियों के धारकों की निधियों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारत के बाहर विनिहित नहीं किया है;
5. यह पुष्टि कि अपेक्षित ऋण-शोधन क्षमता अन्तर को बनाए रखा गया है;
6. इस आशय का प्रमाणन कि सभी आस्तियों के मूल्य तुलन-पत्र की तारीख को पुनर्विलोकित किए गए हैं और यह कि उस के (बीमाकर्ता के) विश्वास में तुलन-पत्र में दर्शित आस्तियां, रकमों में कुल मिलाकर दिखाई गई हैं, जो अनेक शीर्षकों "उधारों", "विनिधान", "अधिकर्ता अतिशेष", "बकाया प्रीमियम", "ब्याज, लाभांश और बकाया किराया", "प्रोदभूत किन्तु शोध्य नहीं ब्याज, लाभांश और किराया", "बीमा कारबार चलाने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों से शोध्य रकमों", "अन्यान्य ऋणी", "प्राप्य बिल" "नकदी" और "अन्य लेखाओं" के अधीन विनिर्दिष्ट अनेक मदों के अधीन उनके वसूली योग्य या बाजार मूल्य से अधिक नहीं हैं;
7. संपूर्ण जोखिम अरक्षण और उसको कम करने के लिए अपनाई गई युक्ति के संबंध में प्रकटन;
8. अन्य देशों में कार्यचालन, यदि कोई हो, एक पृथक् विवरण के साथ, जिसमें देश संबंधी जोखिम और अरक्षण जोखिम संबंधी प्रबंध का अनुमान और अपनाई गई बचाव युक्ति बताएं;
9. दावों की आयु, जिसमें पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान औसत में दावा निपटारा समय के रूख को उदर्शित करें;
10. इस आशय का प्रमाणन कि कैसे विनिधानों और स्टॉक तथा शेयरों का मूल्य, जो तुलन-पत्र में दर्शित है, निकाला गया है और कैसे उसका बाजार मूल्य इस प्रकार दर्शित मूल्यों के साथ तुलना के प्रयोजन के लिए अभिनिश्चित किया गया है;
11. पोर्टफोलियो के अनुसार, अर्थात् स्थावर संपदा, उधार, विनिधान आदि के अनुसार पृथकतः आस्ति की क्वालिटी और विनिधान के कार्यकरण का पुनर्विलोकन;
12. एक ऐसा उत्तरदायित्व विवरण, जिसमें निम्नलिखित उपदर्शित करते हुए कि—
 - (i) वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू लेखा मानकों, सिद्धान्तों और नीतियों का, सारबान विचलन, यदि कोई हो, के संबंध में उचित स्पष्टीकरणों के साथ अनुसरण किया गया है;
 - (ii) प्रबंध ने लेखा नीतियों को अंगीकार किया है और उन्हें निरंतर उपयोग किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं, जो समुचित और प्रबुद्ध हैं जिससे कि वित्तीय वर्ष के अन्त में कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति का और परिचालन लाभ या हानि का तथा वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि का उचित और सही परिदृश्य प्रस्तुत करे;

(iii) प्रबंध ने कंपनी की आस्तियों के रक्षोपाय करने के लिए और तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण और उनका पता लगाने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)/कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के लागू उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

(iv) प्रबंध ने चालू समुत्थान के आधार पर वित्तीय वितरण तैयार किए हैं;

(v) प्रबंध ने यह सुनिश्चित किया है कि विद्यमान कारबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति हो और यह प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

13. संदायों की एक समय-सारणी, जो ऐसे व्यष्टियों, फर्मों, कंपनियों और संगठनों के लिए अपनाई गई है, जिसमें बीमाकर्ता के निदेशक हितबद्ध हैं।

भाग 5

वित्तीय विवरणों की तैयारी

(1) बीमाकर्ता इस भाग में यथा विहित प्ररूप ख-रा.ले., प्ररूप ख-ला.हा. और प्ररूप ख-तु.प. में राजस्व लेखा (पालिसी धारकों का लेखा), लाभ और हानि लेखा (शेयरधारकों का लेखा) और तुलन-पत्र या उसके इतना सद्दृश तैयार करेगा जितना परिस्थितियां अनुज्ञात करें।

परन्तु बीमाकर्ता अग्नि, समुद्री और प्रकीर्ण बीमा कारबार के लिए पृथक्कृत राजस्व लेखा तैयार करेगा तथा पृथक् अनुसूचियां समुद्री स्थोरा, समुद्री-समुद्री स्थोरा से भिन्न और प्रकीर्ण बीमा के अधीन प्रकीर्ण बीमा कारबार के निम्नलिखित वर्गों के लिए तैयार की जाएंगी और तदनुसार ले.मा. 17-खंडीय रिपोर्ट करना-का लागू होना उपांतरित हो जाएगा:

1. मोटर
2. कर्मकार प्रतिकर/नियोजक दायित्व
3. लोक/उत्पाद दायित्व
4. इंजीनियरी
5. विमानन
6. व्यक्तिगत दुर्घटना
7. स्वास्थ्य बीमा
8. अन्य

(2) बीमाकर्ता आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए ले.मा. 3-“नकदी आदान-प्रदान विवरण” में विहित प्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार पृथक् प्राप्तियां और संदाय लेखा तैयार करेगा।

प्ररूप ख-रा.ले.

बीमाकर्ता का नाम :

रजिस्ट्रीकरण सं. और बी.वि.वि.प्रा. के पास रजिस्ट्रीकरण की तारीख

31 मार्च, 20..... को समाप्त हुए वर्ष का राजस्व लेखा

	विशिष्टियां	अनुसूची	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1		
2.	बिनाय पर लाभ/हानि/विनिधानों का मोचन			
3.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
4.	ब्याज, लाभांश और किराया-सकल			
	योग (क)			
1.	उपगत दावे (शुद्ध)	2		
2.	कमीशन	3		
3.	बीमा कारबार से संबंधित परिचालन व्यय	4		
	योग (ख)			
	अग्नि/समुद्री/प्रकोर्ण कारबार से परिचालन लाभ/(हानि) ग - (क - ख)			
	विनियोजन			
	शेयरधारकों के लेखा को अन्तरण			
	विरपत्ति आरक्षिति के अन्तरण			
	अन्य आरक्षितियों को अन्तरण (विनिर्दिष्ट करें)			
	योग (ग)			

टिप्पण : प्ररूप ख-ला.हा. के अन्त में उपाबद्ध टिप्पणों को देखें।

प्ररूप ख-ला.हा.

बीमाकर्ता का नाम :
रजिस्ट्रीकरण सं. और बी.वि.वि.प्रा. के पास रजिस्ट्रीकरण की तारीख

31 मार्च, 20..... को समाप्त हुए वर्ष का लाभ और हानि लेखा

	विशिष्टियाँ	अनुसूची	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	परिचालन लाभ/(हानि)			
	(क) अग्नि बीमा			
	(ख) समुद्री बीमा			
	(ग) प्रकीर्ण बीमा			
2.	विनिधानों से आय			
	(क) ब्याज, लाभांश और किराया-सकल			
	(ख) विनिधानों के विक्रय पर लाभ			
	घटाइए : विनिधानों के विक्रय पर हानि			
3.	अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			
	योग (क)			
4.	उपबंध (कराधान से भिन्न)			
	(क) विनिधानों के मूल्य में ह्रास के लिए			
	(ख) संदेशमयद ऋणों के लिए			
	(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
5.	अन्य व्यय			
	(क) बीमा कारबार से संबंधित से भिन्न व्यय			
	(ख) अपलिखित इञ्चेंट ऋण			
	(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
	योग (ख)			
	कर के पूर्व लाभ			
	कराधान के लिए उपबंध			
	विनियोजन			
	(क) वर्ष के दौरान संदत्त अंतिम लाभांश			
	(ख) प्रस्तावित अंतिम लाभांश			
	(ग) लाभांश वितरण कर			
	(घ) किसी आरक्षित या अन्य लेखा को अन्तरण (विनिर्दिष्ट करें)			
	पिछले वर्ष से अग्रणीत लाभ/हानि का अतिशेष			
	तुलन-पत्र को अग्रणीत अतिशेष			

टिप्पण : प्ररूप ख-रा.ले. और ख-ला.हा. के लिए

- (क) भारत में और भारत के बाहर पूरे किए गए कारबार से प्राप्त प्रीमियम आय पृथक्कृत: प्रकट की जाएगी।
- (ख) पुनर्बीमा प्रीमियम, चाहे अध्यापित या स्वीकृत कारबार पर हो, पुनर्बीमा प्रीमियमों के शीर्ष के अधीन सकल (अर्थात् कमीशन की कटौती के पूर्व) लेखा में लाए जाएंगे।
- (ग) उपगत दावों के अन्तर्गत संदत्त दावे, विरशिष्ट दावे निपटण लागत, जहां कहीं लागू हो, और वर्ष के अन्त में दावों के लिए बकाया उपबन्ध में परिवर्तन आएगा।
- (घ) कुल प्रीमियमों के (पुनर्बीमा को कम करके) या 5,00,000 रुपये, इनमें से जो भी अधिक हो, एक प्रतिशत के आधिक्य में व्यय और आय की मदें पृथक् पंक्ति मद के रूप में दर्शित की जाएंगी।
- (ङ) दावों से संबंधित फीस और व्यय दावों में सम्मिलित होंगे।
- (च) "अन्य" उपशीर्ष के अधीन विदेशी मुद्रा जैसी सटों के लाभ या हानियाँ तथा अन्य मदें सम्मिलित की जाएंगी।
- (छ) किसी विनिधान के बारे में प्राप्य ब्याज, लाभांश और किराया सकल रकम के रूप में कायित किया जाना चाहिए, स्रोत पर कटौती किए गए आय कर की रकम "अग्रिम कर संदत्त और स्रोत पर कटौती किए गए कर" के अधीन सम्मिलित किया जा रहा है।
- (ज) किंग् ए से आय में केवल प्राप्त किराया सम्मिलित होगा। इसमें कोई काल्पनिक किराया सम्मिलित नहीं होगा।

प्ररूप ख-तु.प.

बीमाकर्ता का नाम :

रजिस्ट्रीकरण सं. और बी.वि.वि.प्रा. के पास रजिस्ट्रीकरण की तारीख

31 मार्च, 20..... को समाप्त हुए वर्ष का तुलन-पत्र

विशिष्टियां	अनुसूची	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
निधियों के स्रोत			
शेयर पूंजी	5		
आरक्षितियां और अधिशेष	6		
उचित मूल्य परिवर्तन लेखा			
उधार (लेना)	7		
योग			
निधियों का उपयोग			
विनिधान	8		
उधार (देना)	9		
स्थिर आस्तियां	10		
चालू आस्तियां			
नकदी और बैंक अधिशेष	11		
अग्रिम और अन्य आस्तियां	12		
उप-योग (क)			
चालू दायित्व	13		
उपबंध	14		
उप-योग (ख)			
शुद्ध चालू आस्तियां (ग) - (क - ख)			
प्रकीर्ण व्यय (उस सीमा तक जो अपलिखित या समायोजित नहीं किए गए हैं)	15		
लाभ और हानि लेखा में नामे पक्ष का अधिशेष (शेयरधारकों का लेखा)			
योग			

समाश्रित दायित्व

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	भागतः संदत्त विनिधान		
2.	पालिसियों के विरुद्ध से भिन्न दावे, जो कंपनी द्वारा ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं।		
3.	बकाया हामीदारी प्रतिबद्धताएं (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में)		
4.	कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई प्रत्याभूति		
5.	विवादित कानूनी मांगें/दायित्व, जिनके लिए उपबंध नहीं है		
6.	उस विस्तार तक पुनर्बीमा बाध्यताएं, जिसमें तक लेखा में उपबंध नहीं है		
7.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

वित्तीय विवरणों के भाग रूप अनुसूचियाँ

अनुसूची-1

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)

विशिष्टियाँ	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
प्रत्यक्ष लिखित कारबार से प्रीमियम		
जोड़िए : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम		
घटाइए : अध्यापित पुनर्बीमा पर प्रीमियम		
शुद्ध प्रीमियम		
समाप्त न हुए जोखिमों के लिए आरक्षितियों में परिवर्तन के लिए समायोजन		
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)		

अनुसूची-2

उद्भूत दावें (शुद्ध)

विशिष्टियाँ	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
संदत दावे		
प्रत्यक्ष जोड़िए : स्वीकृत पुनर्बीमा घटाइए : अध्यापित पुनर्बीमा शुद्ध संदत दावे		
वर्ष के अन्त में बकाया दावे जोड़िए		
आरंभ में बकाया दावे घटाइए		
कुल उपगत दावे		

टिप्पण :

- (क) उपगत किन्तु रिपोर्ट न किए गए (आई.बी.एन.आर.), उपगत किन्तु पर्याप्त रिपोर्ट न किए गए दावे, बकाया दावों की रकम में सम्मिलित किए जाने चाहिए।
 (ख) दावों में विनिर्दिष्ट दावा निपटारा लागत सम्मिलित है किन्तु प्रबंध के व्यय सम्मिलित नहीं हैं।
 (ग) सर्वेक्षक फीस, विधिक और अन्य व्यय भी दावा लागत का भाग रूप होंगे।
 (घ) दावों की लागत प्राक्कलन कबाड़ मूल्य के लिए समायोजित की जानी चाहिए यदि उसके प्राप्त किए जाने की पर्याप्त निश्चितता है।

अनुसूची-2

कमीशन व्यय

विशिष्टियाँ	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
संदत कमीशन		
प्रत्यक्ष जोड़िए : स्वीकृत पुनर्बीमा घटाइए : अध्यापित पुनर्बीमा पर कमीशन		
शुद्ध कमीशन		

टिप्पण : लाभ/कमीशन यदि कोई हो, स्वीकृत पुनर्बीमा या अध्यापित पुनर्बीमा अंकों के साथ सम्मिलित किए जाएंगे।

अनुसूची-4

बीमा कारबार संबंधी परिचालन व्यय

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	कर्मचारियों का पारिश्रमिक और कल्याण प्रसूविधाएं		
2.	यात्रा, परिवहन और यान परिचालन व्यय		
3.	प्रशिक्षण व्यय		
4.	किराया, रेंट और कर		
5.	मरम्मत		
6.	मुद्रण और लेखन-सामग्री		
7.	संचार व्यय		
8.	विधिक और व्यावसायिक प्रभार		
9.	लेखापरीक्षक की फीस, व्यय आदि		
	(क) लेखापरीक्षक के रूप (ख) निम्नलिखित के संबंध में सलाहकार के रूप में या किसी अन्य हैसियत में- (i) कराधान विषयों, (ii) बीमा विषयों, (iii) प्रबंध सेवाएं; और (ग) किसी अन्य हैसियत में		
10.	विज्ञापन और प्रचार		
11.	व्याज और बैंक प्रभार		
12.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
13.	अवक्षयण		
	योग		

टिप्पण : कुल प्रीमियमों के (पुनर्बीमा को कम करके) या 5,00,000 रुपये, इनमें से जो भी अधिक हो, एक प्रतिशत के आधिक्य में व्यय और आय की मर्दे पृथक पंक्ति की मद के रूप में दर्शित की जाएंगी।

अनुसूची - 5

शेयर पूंजी

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	प्राधिकृत पूंजी		
	 रुपये का प्रत्येक साधारण शेयर		
2.	पुरोधत पूंजी		
	 रुपये का प्रत्येक साधारण शेयर		
3.	प्रतिश्रुत पूंजी		
	 रुपये का प्रत्येक साधारण शेयर		
4.	आहृत पूंजी		
	 रुपये का प्रत्येक साधारण शेयर		
	घटाइए : असंदत मांग		
	जोड़िए : प्रतिसंदत शेयर (मूलतः समादत्त रकम)		
	घटाइए : क्रय द्वारा वापस लिए गए साधारण शेयरों का सममूल्य		
	घटाइए : प्रारंभिक व्यय		
	व्यय जिनके अन्तर्गत शेयरों की हामीदारी या प्रतिश्रुति पर कमीशन या दलाली सम्मिलित है		
	योग		

टिप्पण :

(क) पूंजी के भिन्न-भिन्न वर्गों की विशिष्टियां पृथक्कृत; कथित की जानी चाहिए।

(ख) बोनस शेयरों को निर्गमित करने के कारण पूंजीकृत रकम प्रकट की जानी चाहिए।

(ग) यदि पूंजी का कोई भाग नियंत्री कंपनी द्वारा धारित है तो वह पृथक रूप में प्रकट किया जाना चाहिए।

अनुसूची - 5क

शेयर धारण की पद्धति (प्रबंध द्वारा यथा प्रमाणित)

शेयरधारक	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	शेयरों की सं.	धृति का %	शेयरों की सं.	धृति का %
संप्रवर्तक				
● भारतीय				
● विदेशी				
अन्य				
योग				

अनुसूची - 6

आरक्षितियां और अधिशेष

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	पूंजी आरक्षिति		
2.	पूंजी मोचन आरक्षिति		
3.	शेयर प्रीमियम		
4.	साधारण आरक्षितियां		
	घटाइए : लाभ और हानि लेखा में विकलन अधिशेष, यदि कोई हो		
	घटाइए : क्रय द्वारा वापस लिए जाने के लिए उपयोग की गई रकम		
5.	विपत्ति आरक्षिति		
6.	अन्य आरक्षितियां (विनिर्दिष्ट करें)		
7.	लाभ और हानि लेखा में लाभ का अधिशेष		
	योग		

टिप्पण : आरक्षितियों में परिवर्धन या उनसे कटौती विनिर्दिष्ट शीर्षों में से प्रत्येक के अधीन प्रकट की जानी चाहिए।

अनुसूची - 7

उधार लेना

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	डिबेंचर/बंधपत्र		
2.	बैंक		
3.	वित्तीय संस्थाएं		
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

टिप्पण :

- (क) वह विस्तार जिस तक उधार लेना प्रतिभूत है, प्रत्येक उप-शीर्ष के अधीन प्रतिभूति की प्रकृति कथित करते हुए पृथकतः प्रकट की जाएगी।
 (ख) बिलनपत्र की तारीख से 12 मास के भीतर शोध्य रकम पृथकतः दर्शित की जानी चाहिए।

अनुसूची - 8

विनिधान

	विशिष्टियां	बालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
	दीर्घकालिक विनिधान		
1.	सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्र, जिनके अन्तर्गत खजाना हडियां हैं		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3.	अन्य विनिधान		
	(क) शेयर		
	(कक) साधारण		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) पारस्परिक निधियां		
	(ग) व्युत्पन्नी लिखतें		
	(घ) डिबेंचर/बंधपत्र		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियां (विनिर्दिष्ट करें)		
	(च) समनुषंगी		
	(छ) विनिधान संपत्तियां-स्थावर संपदा		
4.	अवसरचना और सामाजिक क्षेत्र में विनिधान		
5.	अनुमोदित विनिधानों से भिन्न		
	अल्पकालिक विनिधान		
1.	सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्र, जिनके अन्तर्गत खजाना हडियां हैं		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3.	अन्य विनिधान		
	(क) शेयर		
	(कक) साधारण		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) पारस्परिक निधियां		
	(ग) व्युत्पन्नी लिखतें		
	(घ) डिबेंचर/बंधपत्र		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियां (विनिर्दिष्ट करें)		
	(च) समनुषंगी		
	(छ) विनिधान संपत्तियां-स्थावर संपदा		
4.	अवसरचना और सामाजिक क्षेत्र में विनिधान		
5.	अनुमोदित विनिधानों से भिन्न		
	योग		

टिप्पण :

(क) समनुषंगी/नियंत्री कंपनी, संयुक्त उद्यमों और सहयुक्तों में विनिधान लागत पर पृथक्कृत प्रकट किया जाएगा :

- नियंत्री कंपनी और समनुषंगी का अधीनस्थान कंपनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित के अनुसार किया जाएगा।
 - सह-उद्यम एक संविदात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार एक ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप अपने जिम्मे लेते हैं, जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है।
 - संयुक्त नियंत्रण किसी आर्थिक क्रियाकलाप से फायदे प्राप्त करने के लिए उसकी वित्तीय और परिचालन नीतियों को शासित करने की शक्ति में भाग लेने का संविदात्मक करार है।
 - सहयुक्त एक उद्यम है, जिसमें कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और जो न तो समनुषंगी है और न कंपनी का संयुक्त उद्यम है।
 - महत्वपूर्ण प्रभाव (इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए) से अभिप्रेत है किसी कंपनी की वित्तीय और परिचालन नीति के विशिष्टताओं में भाग लेना किन्तु उन नीतियों का नियंत्रण करना नहीं है। महत्वपूर्ण प्रभाव अनेक तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है, उदाहरणार्थ, निदेशक-बोर्ड में प्रतिनिधित्व द्वारा, नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी, सामग्री अन्तर-कंपनी संव्यवहार, प्रबंधकीय कार्मिक आपसी अदला-बदली या तकनीकी जानकारी की निरभरता द्वारा। महत्वपूर्ण प्रभाव शेयर स्वामित्व, कानून या करार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जहां तक शेयर स्वामित्व का संबंध है, यदि कोई विनिधानकर्ता समनुषंगी के माध्यम से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधाता की 20 प्रतिशत या अधिक मतदान शक्ति धारण करता है तो यह उपधारणा की जाती है कि विनिधानकर्ता का महत्वपूर्ण प्रभाव है जब तक कि यह स्पष्ट रूप में प्रदर्शित न किया जा सके कि यह बात नहीं है। इसके विपरीत यदि विनिधानकर्ता समनुषंगी के माध्यम से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधाता की 20 प्रतिशत से कम मतदान शक्ति धारण करता है तो यह उपधारणा की जाती है कि विनिधानकर्ता का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, जब तक कि ऐसा प्रभाव स्पष्टतः प्रदर्शित नहीं किया जाता है। किसी अन्य विनिधानकर्ता द्वारा एक सारकान या बहुसंख्यक स्वामित्व किसी विनिधानकर्ता को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने से आवश्यक तौर पर विवर्जित नहीं करता है।
- (ख) सूचीबद्ध साधारण प्रतिभूतियां भिन्न कंपनी के विनिधानों की कुल रकम और व्युत्पन्नी लिखतों और उनका बाजार मूल्य भी प्रकट किया जाएगा।
- (ग) विपत्ति आरक्षित में से किए विनिधान पृथक्कृत दर्शित किए जाने चाहिए।
- (घ) श्रेष्ठ प्रतिभूतियां "परिपक्वता तक धारित" प्रतिभूतियों के रूप में मानी जाएंगी और क्रमिक अपाकरण के अधीन रहते हुए ऐतिहासिक लागत पर मापी जाएंगी।
- (ङ) विनिधान संपत्ति से कोई ऐसी संपत्ति भूमि या भवन या किसी भवन या दोनों का भाग अभिप्रेत है जो सेवाओं में उपयोग या प्रशासनिक प्रयोजनों की बजाय किराया आय अर्जित करने या पूंजी अभिवृद्धि के लिए या दोनों के लिए धारित है।
- (च) तुलनपत्र की तारीख से बारह मास के भीतर परिपक्व होने वाले विनिधान और तुलनपत्र की तारीख से बारह मास के भीतर व्ययनित करने के विशिष्ट आशय से किए गए विनिधान अल्पकालिक विनिधानों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

अनुसूची - 9

उधार

	विशिष्टियाँ	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	प्रतिभूति-बार वर्गीकरण		
	प्रतिभूत		
	(क) संपत्ति के बंधक पर		
	(कक) भारत में		
	(खख) भारत के बाहर		
	(ख) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि पर		
	(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	अप्रतिभूत		
	योग		
2.	उधार लेने वाले के रूप में वर्गीकरण		
	(क) केन्द्रीय और राज्य सरकारें		
	(ख) बैंक और वित्तीय संस्थाएँ		
	(ग) समनुयोजी		
	(घ) औद्योगिक उपक्रम		
	(ङ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		
3.	कार्य-निष्पादन-बार वर्गीकरण		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत उधार		
	(कक) भारत में		
	(खख) भारत के बाहर		
	(ख) गैर कार्य निष्पादक उधार कम उपबंध		
	(कक) भारत में		
	(खख) भारत के बाहर		
	योग		
4.	परिपक्वता-बार वर्गीकरण		
	(क) अल्पकालिक		
	(ख) दीर्घकालिक		
	योग		

टिप्पण :

- (क) अल्पकालिक उधारों में वे सम्मिलित हैं जो तुलनपत्र की तारीख से बारह मास के भीतर संदेय हैं, दीर्घकालिक उधार अल्पकालिक उधारों से भिन्न उधार होंगे।
- (ख) गैर-कार्य निष्पादक उधारों के विरुद्ध उपबंध पृथक्तः दर्शित किया जाएगा।
- (ग) सभी दीर्घकालिक प्रतिभूत उधारों के संबंध में प्रतिभूति की प्रकृति प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट की जाएगी। इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए प्रतिभूत उधारों से कंपनी की किसी आस्ति के विरुद्ध पूर्णतः या भागतः प्रतिभूत उधार अभिप्रेत हैं।
- (घ) संदेहास्पद माने जाने वाले उधार और ऐसे उधारों के विरुद्ध सृजित उपबंध की रकम प्रकट की जाएगी।

अनुसूची - 10

स्थिर आस्तियां

विशिष्टियां	लागत/सकल स्लाक				अवक्षयण				शुद्ध स्लाक	
	आरंभिक	अभिवृद्धियां	कटौतियां	बन्द	पिछले वर्ष तक	इस वर्ष के लिए	विक्रय/समायोजन पर	आज	वर्ष के अन्त में	पूर्व वर्ष
गुडविल										
अमूर्त (विनिर्दिष्ट करें)										
भूमि-पूर्ण स्वामित्व										
पट्टा धृति संपत्ति										
भवन										
फर्नीचर और फिटिंगें										
सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर										
यान										
कार्यालय उपस्कर										
अन्य प्रकृति (विनिर्दिष्ट करें)										
योग										
प्रगति पर कार्य										
कुल योग										
पूर्व वर्ष										

टिप्पण : ऊपर भूमि, संपत्ति और भवन में सम्मिलित आस्तियों में अनुसूची 8 के टिप्पण (ड) में यथापरिभाषित विनिधान संपत्तियां सम्मिलित नहीं हैं।

अनुसूची - 11

नकदी और बैंक अतिशेष

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	नकदी (जिसके अन्तर्गत चेक, ड्राफ्ट और स्टॉप भी हैं)		
2.	बैंक अतिशेष		
	(क) निक्षेप लेखा		
	(कक) अल्पकालिक (तुलन-पत्र की तारीख के 12 मास के भीतर शोध्य)		
	(खख) अन्य		
	(ख) चालू खाता		
	(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
3.	मांग पर और अल्प सूचना पर धन		
	(क) बैंक के पास		
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास		
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		
	ऊपर 2 और 3 में सम्मिलित गैर अनुसूचित बैंकों के पास अतिशेष		

टिप्पण : बैंक अतिशेष में अभिवहन प्रेषण सम्मिलित हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो प्रकृति और रकम पृथक्कृत: कथित की जाएगी।

अनुसूची - 12

अग्रिम और अन्य आस्तियां

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
	अग्रिम		
1.	अध्यपण कंपनियों के पास आरक्षित निक्षेप		
2.	विनिधानों के लिए आवेदन धन		
3.	पूर्व संदाय		
4.	निदेशकों/अधिकारियों को अग्रिम		
5.	संदर्भ अग्रिम कर और स्रोत पर कटौती किए गए कर (कराधान के लिए उपबंध का शुद्ध)		
6.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग (क)		
	अन्य आस्तियां		
1.	विनिधानों पर उद्भूत आय		
2.	बकाया प्रीमियम		
3.	अधिकर्ताओं के अतिशेष		
4.	विदेशी अधिकरणों के अतिशेष		
5.	बीमा कारबार (जिसके अन्तर्गत पुनर्बीता भी हैं) चलाने वाले अन्य स्वत्वधारी से शोध		
6.	समनुषंगी/नियंत्रि कंपनी से शोध		
7.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास निक्षेप (बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 7 के अनुसरण में)		
8.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग (ख)		
	योग (क + ख)		

टिप्पण :

(क) उपर्युक्त शीर्षों के अधीन मद्धे संदेहास्पद रकमों के लिए उपबंधों का शुद्ध दर्शित नहीं करेंगी। प्रत्येक शीर्ष के विरुद्ध उपबंध की रकम पृथक्कृत; दर्शित की जानी चाहिए।

(ख) "अधिकारी" पद कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन दी गई उस पद की परिभाषा के अनुरूप होना चाहिए।

(ग) अन्यान्य ऋणियों को मद 9 (अन्य) के अधीन दर्शित की जाएगी।

अनुसूची - 13

चालू दायित्व

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	अधिकर्ताओं का अतिशेष		
2.	अन्य बीमा कंपनियों को शोध अतिशेष		
3.	अध्यपण पुनर्बीमा पर धारित निक्षेप		
4.	अग्रिम रूप में प्राप्त प्रीमियम		
5.	अनाबंटित प्रीमियम		
6.	अन्यान्य ऋणी		
7.	समनुषंगी/नियंत्रि कंपनी को शोध		
8.	बकाया दावे		
9.	अधिकारियों/निदेशकों को शोध		
10.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

अनुसूची - 14

उपबंध

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	समाप्त न हुए जोखिम के लिए आरक्षित		
2.	कराधान के लिए (कम संदस अग्रिम कर और छोट पर कटौती किए गए कर)		
3.	प्रस्तावित लाभांशों के लिए		
4.	लाभांश वितरण कर के लिए		
5.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

अनुसूची - 15

प्रकीर्ण व्यय

(उस विस्तार तक जिस तक अपलिखित या समायोजित नहीं किए गए)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष ('000 रु.)	पूर्व वर्ष ('000 रु.)
1.	शेयरों/डिबेंचरों के निर्गम में अनुज्ञात छूट		
2.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

टिप्पण :

(क) "प्रकीर्ण व्यय" शीर्ष के अधीन कोई मद सम्मिलित और अग्रनीत नहीं की जाएगी जब तक कि-

1. व्यय से कुछ फायदा भविष्य में प्राप्त होने की युक्तियुक्त प्रत्याशा न हो सकती हो; और
2. ऐसे फायदे की रकम युक्तियुक्त रूप में अवधारणीय न हो।

(ख) "प्रकीर्ण व्यय" शीर्ष के अधीन सम्मिलित किसी मद के संबंध में अग्रनीत की जाने वाली रकम व्यय से संबंधित प्रत्याशित भावी राजस्व/अन्य फायदों से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची ग
(विनियम 3 देखें)
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

प्रत्येक बीमाकर्ता के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इसमें विनिर्दिष्ट विषयों पर कार्रवाई करेगी :

1. (क) यह कि उन्हें वे सब जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं, जो उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उनकी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और क्या वे उनके समाधान प्रद पाए गए हैं;

(ख) क्या बीमाकर्ता द्वारा उचित लेखा-बहियां बनाई रखी गई हैं, जहां तक उन लेखा-बहियों की परीक्षा से प्रतीत होता है;

(ग) क्या उचित विवरणियां, लेखापरीक्षित या बिना लेखापरीक्षित, शाखाओं और अन्य कार्यालयों से प्राप्त हुई हैं और क्या वे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त थीं;

(घ) क्या तुलन-पत्र, राजस्व लेखा, लाभ और हानि लेखा और प्राप्तियां और संदाय लेखा, जो रिपोर्ट से संबंधित हैं, लेखा-बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं;

(ङ) क्या दायित्वों का बीमांकिक मूल्यांकन नियत बीमांकिक द्वारा सम्यक्तः इस आशय से प्रमाणित है कि ऐसे मूल्यांकन के लिए धारणाएं प्राधिकरण, और/या प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसाइटी द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों और मानकों, यदि कोई हों, के अनुसार हैं।

2. लेखापरीक्षक निम्नलिखित के संबंध में अपनी राय व्यक्त करेंगे :-

(क) (i) क्या तुलन-पत्र वित्तीय वर्ष/अवधि के अन्त में बीमाकर्ता के कार्यकलापों का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है;

(ii) क्या राजस्व लेखा वित्तीय वर्ष/अवधि के अधिशेष या कभी का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है।

(iii) क्या लाभ और हानि लेखा वित्तीय वर्ष/अवधि के लाभ और हानि लेखा का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है;

(iv) क्या प्राप्तियां और संदाय लेखा वित्तीय वर्ष/अवधि के लिए सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है;

(ख) ऊपर (क) पर वित्तीय विवरण, जहां तक लागू और अपेक्षित रीति में बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(ग) विनिधान, अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार मूल्यांकित किए गए हैं।

(घ) बीमाकर्ता द्वारा चयनित लेखा नीतियां उचित हैं और इन विनियमों में या इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी आदेश या निदेश में विहित लागू लेखा मानकों और लेखा सिद्धान्तों के अनुपालन में हैं।

3. लेखापरीक्षक यह भी प्रमाणित करेगा कि-

(क) उन्होंने प्रबंध की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन किया है और वित्तीय विवरणों के साथ कोई प्रकट गलती या सारवान असंगतियां नहीं हैं;

(ख) बीमाकर्ता ने प्राधिकरण द्वारा नियत रूजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन किया है।

4. लेखापरीक्षकों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र (जो किसी ऐसे अन्य प्रमाणपत्र या रिपोर्ट के अतिरिक्त होगा, जो विधि द्वारा तुलनपत्र के संबंध में दी जानी अपेक्षित है) यह प्रमाणित करते हुए कि—

(क) उन्होंने नकदी अतिशेषों और बीमाकर्ता के उधारों, प्रत्यागमों और जीवन हितों (जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में) तथा विनिधानों से संबंधित नकदी अतिशेषों और प्रतिभूतियों का सत्यापन कर दिया है ;

(ख) किसी विस्तार तक, यदि कोई हो, उन्होंने न्यासी के रूप में बीमाकर्ता द्वारा अपने ऊपर लिए गए किन्हीं न्यासों से संबंधित विनिधानों और संव्यवहारों का सत्यापन किया है; और

(ग) पालिसीधारकों की निधियों की आस्तियों का कोई भी भाग पालिसीधारकों की निधियों के उपयोजन और विनिधान से संबंधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपयोग नहीं किया है।

एन. रंगाचारी, अध्यक्ष

[चित्रापन- 111/4/असाधारण/61/02]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2002

The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002

F.No. IRDA/Reg./03/2002.—In exercise of the powers conferred by sections 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), and in suppression of the The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2000, Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(3) On and from the commencement of these regulations, The Insurance Regulatory And Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2000 shall stand superseded, except as respects things done or omitted to be done thereunder.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires ---

(a) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(b) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);

(c) All words and expressions used herein and not defined but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), or Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. Preparation of financial statements, management report and auditor's report.—(1) An insurer carrying on life insurance business, after the commencement of these Regulations, shall comply with the requirements of Schedule A.

(2) An insurer carrying on general insurance business, after the commencement of these Regulations, shall comply with the requirements of Schedule B:

Provided that this sub-regulation shall apply, *mutatis mutandis*, to reinsurers, until separate regulations are made.

(3) The report of the auditors on the financial statements of every insurer and reinsurer shall be in conformity with the requirements of Schedule C, or as near thereto as the circumstances permit.

(4) The Authority may, from time to time, issue separate directions/ guidelines in the matter of appointment, continuance or removal of auditors of an insurer or reinsurer, as the case may be, and such directions/ guidelines may include prescriptions regarding qualifications and experience of auditors, their rotation, period of appointment, etc as may be deemed necessary by the Authority.

SCHEDULE A*(See Regulation 3)***PART I****Accounting principles for preparation of financial statements**

1. Applicability of Accounting Standards—Every Balance Sheet, Revenue Account [Policyholders' Account], Receipts and Payments Account [Cash Flow statement] and Profit and Loss Account [Shareholders' Account] of an insurer shall be in conformity with the Accounting Standards (AS) issued by the ICAI, to the extent applicable to insurers carrying on life insurance business, except that:

- (i) Accounting Standard 3 (AS 3) – Cash Flow Statements – Cash Flow Statement shall be prepared only under the Direct Method.
- (ii) Accounting Standard 17 (AS 17) – Segment Reporting – shall apply to all insurers irrespective of the requirements regarding listing and turnover mentioned therein.

2. Premium—Premium shall be recognised as income when due. For linked business the due date for payment may be taken as the date when the associated units are created.

3. Acquisition Costs—Acquisition costs, if any, shall be expensed in the period in which they are incurred.

Acquisition costs are those costs that vary with and are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts. The most essential test is the obligatory relationship between costs and the execution of insurance contracts (i.e., commencement of risk)

4. Claims Cost—The ultimate cost of claims shall comprise the policy benefit amount and specific claims settlement costs, wherever applicable.

5. Actuarial Valuation -- Liability for Life Policies -- The estimation of liability against life policies shall be determined by the appointed actuary of the insurer pursuant to his annual investigation of the life insurance business. Actuarial assumptions are to be disclosed by way of notes to the account

The liability shall be so calculated that together with future premium payments and investment income, the insurer can meet all future claims (including bonus entitlements to policyholders) and expenses.

6. Procedure to determine value of investments—An insurer shall determine the values of investments in the following manner:-

a) **Real Estate - Investment Property**—The value of investment property shall be determined at historical cost, subject to revaluation at least once in every three years. The change in the carrying amount of the investment property shall be taken to Revaluation Reserve

The insurer shall assess at each balance sheet date whether any impairment of the investment property has occurred.

Gains/ losses arising due to changes in the carrying amount of real estate shall be taken to equity under 'Revaluation Reserve'. The 'Profit on sale of investments' or 'Loss on sale of investments', as the case may be, shall include accumulated changes in the carrying amount previously recognised in equity under the heading 'Revaluation Reserve' in respect of a particular property and being recycled to the relevant Revenue Account or Profit and Loss Account on sale of that property.

The bases for revaluation shall be disclosed in the notes to accounts. The Authority may issue directions specifying the amount to be released from the revaluation reserve for declaring bonus to the policyholders. For the removal of doubt, it is clarified that except for the amount that is released to policyholders as per the Authority's direction, no other amount shall be distributed to shareholders out of Revaluation Reserve Account.

An impairment loss shall be recognised as an expense in the Revenue/Profit and Loss Account immediately, unless the asset is carried at re-valued amount. Any impairment loss of a re-valued asset shall be treated as a revaluation decrease of that asset and if the impairment loss exceeds the corresponding revaluation reserve, such excess shall be recognised as an expense in the Revenue/Profit and Loss Account.

b) **Debt Securities**—Debt securities, including government securities and redeemable preference shares, shall be considered as “held to maturity” securities and shall be measured at historical cost subject to amortisation.

c) **Equity Securities and Derivative Instruments that are traded in active markets**—Listed equity securities and derivative instruments that are traded in active markets shall be measured at fair value on the balance sheet date. For the purpose of calculation of fair value, the lowest of the last quoted closing price at the stock exchanges where the securities are listed shall be taken.

The insurer shall assess on each balance sheet date whether any impairment of listed equity security(ies)/derivative(s) instruments has occurred.

An active market shall mean a market, where the securities traded are homogenous, availability of willing buyers and willing sellers is normal and the prices are publicly available.

Unrealised gains/ losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and derivative instruments shall be taken to equity under the head ‘Fair Value Change Account’. The ‘Profit on sale of investments’ or ‘Loss on sale of investments’, as the case may be, shall include accumulated changes in the fair value previously recognised in equity under the heading ‘Fair Value Change Account’ in respect of a particular security and being recycled to the relevant Revenue Account or Profit and Loss Account on actual sale of that listed security.

The Authority may issue directions specifying the amount to be released from the Fair Value Change Account for declaring bonus to the policyholders. For the removal of doubt, it is clarified that except for the amount that is released to policyholders as per the Authority’s prescription, no other amount shall be distributed to shareholders out of Fair Value Change Account. Also, any debit balance in Fair Value Change Account shall be reduced from profit/free reserves while declaring dividends.

The insurer shall assess, on each balance sheet date, whether any impairment has occurred. An impairment loss shall be recognised as an expense in Revenue/Profit and Loss Account to the extent of the difference between the re-measured fair value of the security/investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue/Profit and Loss Account. Any reversal of impairment loss, earlier recognised in Revenue/Profit and Loss Account shall be recognised in Revenue/Profit and Loss Account.

d) **Unlisted and other than actively traded Equity Securities and Derivative Instruments** ---Unlisted equity securities and derivative instruments and listed equity securities and derivative instruments that are not regularly traded in active markets shall be measured at historical cost. Provision shall be made for diminution in value of such investments. The provision so made shall be reversed in subsequent periods if estimates based on external evidence show an increase in the value of the investment over its carrying amount. The increased carrying amount of the investment due to the reversal of the provision shall not exceed the historical cost.

For the purposes of this regulation, a security shall be considered as being not actively traded, if as per guidelines governing mutual funds laid down from time to time by SEBI, such a security is classified as “thinly traded”.

7. Loans—Loans shall be measured at historical cost subject to impairment provisions.

The insurer shall assess the quality of its loan assets and shall provide for impairment. The impairment provision shall not be lower than the amounts derived on the basis of guidelines prescribed from time to time by the Reserve Bank of India, that apply to companies and financial institutions.

8. Linked Business—The accounting principles used for valuation of investments are to be consistent with principles enumerated above. A separate set of financial statements, for each segregated fund of the linked businesses, shall be annexed. **Segregated funds** represent funds maintained in accounts to meet specific investment objectives of policyholders who bear the investment risk. Investment income/ gains and losses generally accrue directly to the policyholders. The assets of each account are segregated and are not subject to claims that arise out of any other business of the insurer.

9. Funds for Future Appropriation—The funds for future appropriation shall be presented separately.

The funds for future appropriation represent all funds, the allocation of which, either to the policyholders or to the shareholders, has not been determined by the end of the financial year.

PART II**Disclosures forming part of Financial Statements****A. The following shall be disclosed by way of notes to the Balance Sheet:**

1. Contingent Liabilities:
 - (a) Partly-paid up investments
 - (b) Underwriting commitments outstanding
 - (c) Claims, other than those under policies, not acknowledged as debts
 - (d) Guarantees given by or on behalf of the company
 - (e) Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for
 - (f) Reinsurance Obligations to the extent not provided for in accounts
 - (g) Others (to be specified)
2. Actuarial assumptions for valuation of liabilities for life policies in force.
3. Encumbrances to assets of the company in and outside India.
4. Commitments made and outstanding for Loans, Investments and Fixed Assets.
5. Basis of amortisation of debt securities
6. Claims settled and remaining unpaid for a period of more than six months as on the balance sheet date.
7. Value of contracts in relation to investments, for:
 - (a) Purchases where deliveries are pending;
 - (b) Sales where payments are overdue.
8. Operating expenses relating to insurance business: basis of allocation of expenditure to various segments of business.
9. Computation of managerial remuneration.
10. Historical costs of those investments valued on fair value basis.
11. Basis of revaluation of investment property.

B. The following accounting policies shall form an integral part of the financial statements:

1. All significant accounting policies in terms of the accounting standards issued by the ICAI, and significant principles and policies given in Part I of Accounting Principles. Any other accounting policies, followed by the insurer, shall be stated in the manner required under Accounting Standard AS 1 issued by the ICAI.
2. Any departure from the accounting policies shall be separately disclosed with reasons for such departure.

C. The following information shall also be disclosed:

1. Investments made in accordance with any statutory requirement should be disclosed separately together with its amount, nature, security and any special rights in and outside India;
2. Segregation into performing/ non performing investments for purpose of income recognition as per the directions, if any, issued by the Authority;
3. Assets to the extent required to be deposited under local laws or otherwise encumbered in or outside India;
4. Percentage of business sector-wise;
5. A summary of financial statements for the last five years, in the manner as may be prescribed by the Authority;
6. Bases of allocation of investments and income thereon between Policyholders' Account and Shareholders' Account.
7. Accounting Ratios as may be prescribed by the Authority.

PART III**General instructions for preparation of Financial Statements**

1. The corresponding amounts for the immediately preceding financial year for all items shown in the Balance Sheet, Revenue Account, Profit and Loss Account and Receipts and Payments Account shall be given.
 2. The figures in the financial statements may be rounded off to the nearest thousands.
 3. Interest, dividends and rentals receivable in connection with an investment should be stated at gross amount, the amount of income tax deducted at source should be included under 'advance taxes paid' and taxes deducted at source.
 4. (I) For the purposes of financial statements, unless the context otherwise requires -
 - (a) the expression 'provision' shall, subject to (II) below mean any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets, or retained by way of providing for any known liability or loss of which the amount cannot be determined with substantial accuracy;
 - (b) the expression 'reserve' shall not, subject to as aforesaid, include any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets or retained by way of providing for any known liability or loss;
 - (c) the expression 'capital reserve' shall not include any amount regarded as free for distribution through the profit and loss account; and the expression 'revenue reserve' shall mean any reserve other than a capital reserve;
 - (d) The expression "liability" shall include all liabilities in respect of expenditure contracted for and all disputed or contingent liabilities.
- (II) Where:
- (a) any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets, or
 - (b) any amount retained by way of providing for any known liability or loss,
- is in excess of the amount which in the opinion of the directors is reasonably necessary for the purpose, the excess shall be treated as a reserve and not provision.
5. The company shall make provisions for damages under lawsuits where the management is of the opinion that the award may go against the insurer.
 6. Extent of risk retained and re-insured shall be separately disclosed.
 7. Any debit balance of the Profit and Loss Account shall be shown as deduction from uncommitted reserves and the balance, if any, shall be shown separately.

PART IV

Contents of Management Report

There shall be attached to the financial statements, a management report containing, *inter alia*, the following duly authenticated by the management:

1. Confirmation regarding the continued validity of the registration granted by the Authority;
2. Certification that all the dues payable to the statutory authorities have been duly paid;
3. Confirmation to the effect that the shareholding pattern and any transfer of shares during the year are in accordance with the statutory or regulatory requirements;
4. Declaration that the management has not directly or indirectly invested outside India the funds of the holders of policies issued in India;
5. Confirmation that the required solvency margins have been maintained;
6. Certification to the effect that the values of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and that in his (insurer's) belief the assets set forth in the Balance-sheets are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realisable or market value under the several headings – "Loans", "Investments", "Agents balances", "Outstanding Premiums", "Interest, Dividends and Rents outstanding", "Interest, Dividends and Rents accruing but not due", "Amounts due from other persons or Bodies carrying on insurance business", "Sundry Debtors", "Bills Receivable", "Cash" and the several items specified under "Other Accounts";
7. Certification to the effect that no part of the life insurance fund has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) relating to the application and investment of the life insurance funds;
8. Disclosure with regard to the overall risk exposure and strategy adopted to mitigate the same;
9. Operations in other countries, if any, with a separate statement giving the management's estimate of country risk and exposure risk and the hedging strategy adopted;
10. Ageing of claims indicating the trends in average claim settlement time during the preceding five years;
11. Certification to the effect as to how the values, as shown in the balance sheet, of the investments and stocks and shares have been arrived at, and how the market value thereof has been ascertained for the purpose of comparison with the values so shown;
12. Review of asset quality and performance of investment in terms of portfolios, i.e., separately in terms of real estate, loans, investments, etc.
13. A responsibility statement indicating therein that,
 - (a) in the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;
 - (b) the management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the operating profit or loss and of the profit or loss of the company for the year;
 - (c) the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act 1938 (4 of 1938) / Companies Act, 1956 (1 of 1956), for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
 - (d) the management has prepared the financial statements on a going concern basis;
 - (e) the management has ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.
14. A schedule of payments, which have been made to individuals, firms, companies and organisations in which Directors of the insurer are interested.

PART V**Preparation of Financial Statements**

- (1) An insurer shall prepare the Revenue Account [Policyholders' Account], Profit and Loss Account [Shareholders' Account] and the Balance Sheet in Form A-RA, Form A-PL and Form A-BS, as prescribed in this Part, or as near thereto as the circumstances permit.

Provided that an insurer shall prepare Revenue Account and Balance Sheet for the under mentioned businesses separately and to that extent the application of AS 17 shall stand modified:-

- a) Participating policies and Non-participating policies;
 - b) i) Linked business [As defined in regulation 2 (i) of the IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000]

ii) Non-Linked business separately for Ordinary Life, General Annuity, pensions and Health Insurance;
 - c) Business within India and business outside India.
- (2) An insurer shall prepare separate Receipts and Payments Account in accordance with the Direct Method prescribed in AS 3 – "Cash Flow Statement" issued by the ICAI.

FORM A-RA

Name of the Insurer:

Registration No. and Date of Registration with the IRDA

REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 20__.

Policyholders' Account (Technical Account)

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
		(Rs.'000)	(Rs.'000).
Premiums earned – net			
(a) Premium	1		
(b) Reinsurance ceded			
(c) Reinsurance accepted-			
Income from Investments			
(a) Interest, Dividends & Rent – Gross			
(b) Profit on sale/redemption of investments			
(c) (Loss on sale/ redemption of investments)			
(d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*			
Other Income (to be specified)			
TOTAL (A)			
Commission	2		
Operating expenses related to Insurance Business	3		
Provision for doubtful debts			
Bad debts written off			
Provision for Tax			
Provisions (other than taxation)			
(a) For diminution in the value of investments (Net)			
(b) Others (to be specified)			
TOTAL (B)			
Benefits Paid (Net)	4		
Interim Bonuses Paid			
Change in valuation of liability in respect of life policies			
(a) Gross**			
(b) Amount ceded in Reinsurance			
(c) Amount accepted in Reinsurance			
TOTAL (C)			
SURPLUS/ (DEFICIT) (D) =(A)-(B)-(C)			
APPROPRIATIONS			
Transfer to Shareholders' Account			
Transfer to Other Reserves (to be specified)			
Balance being Funds for Future Appropriations			
TOTAL (D)			

Notes:

* Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

** represents Mathematical Reserves after allocation of bonus

The total surplus shall be disclosed separately with the following details:

- Interim Bonuses Paid:
- Allocation of Bonus to policyholders:
- Surplus shown in the Revenue Account:
- Total Surplus: [(a)+(b)+(c)].

See Notes appended at the end of Form A-PL

FORM A-PL

Name of the Insurer:

Registration No. and Date of Registration with the IRDA

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 20__.

Shareholders' Account (Non-technical Account)

Particulars	Schedule	Current Year (Rs. '000).	Previous Year (Rs. '000).
Amounts transferred from/to the Policyholders Account (Technical Account)			
Income From Investments			
(a) Interest, Dividends & Rent – Gross			
(b) Profit on sale/redemption of investments			
(c) (Loss on sale/ redemption of investments)			
Other Income (To be specified)			
TOTAL (A)			
Expense other than those directly related to the insurance business			
Bad debts written off			
Provisions (Other than taxation)			
(a) For diminution in the value of investments (Net)			
(b) Provision for doubtful debts			
(c) Others (to be specified)			
TOTAL (B)			
Profit/ (Loss) before tax			
Provision for Taxation			
Profit / (Loss) after tax			
APPROPRIATIONS			
(a) Balance at the beginning of the year.			
(b) Interim dividends paid during the year			
(c) Proposed final dividend			
(d) Dividend distribution on tax			
(e) Transfer to reserves/ other accounts (to be specified)			
Profit carried ----- to the Balance Sheet			

Notes to Form A-RA and A-PL.

- Premium income received from business concluded in and outside India shall be separately disclosed.
- Reinsurance premiums whether on business ceded or accepted are to be brought into account gross (i.e. before deducting commissions) under the head reinsurance premiums
- Claims incurred shall comprise claims paid, specific claims settlement costs wherever applicable and change in the outstanding provision for claims at the year-end.
- Items of expenses and income in excess of one percent of the total premiums (less reinsurance) or Rs.5,00,000 whichever is higher, shall be shown as a separate line item.
- Fees and expenses connected with claims shall be included in claims.
- Under the sub-head "Others" shall be included items like foreign exchange gains or losses and other items.
- Interest, dividends and rentals receivable in connection with an investment should be stated as gross amount, the amount of income tax deducted at source being included under "advance taxes paid and taxes deducted at source".
- Income from rent shall include only the realised rent. It shall not include any notional rent.

FORM A-BS

Name of the Insurer:

Registration No. and Date of Registration with the IRDA

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 20__.

	Schedule	Current Year	Previous Year
		(Rs.'000).	(Rs.'000).
SOURCES OF FUNDS			
<i>SHAREHOLDERS' FUNDS</i>			
SHARE CAPITAL	5		
RESERVES AND SURPLUS	6		
CREDIT/[DEBIT] FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT			
Sub-Total			
BORROWINGS	7		
<i>POLICYHOLDERS' FUNDS</i>			
CREDIT/[DEBIT] FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT			
POLICY LIABILITIES			
INSURANCE RESERVES			
PROVISION FOR LINKED LIABILITIES			
Sub-Total			
FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS			
TOTAL			
APPLICATION OF FUNDS			
INVESTMENTS			
Shareholders'	8		
Policyholders'	8A		
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	8B		
LOANS	9		
FIXED ASSETS	10		
CURRENT ASSETS			
Cash and Bank Balances	11		
Advances and Other Assets	12		
Sub-Total (A)			
CURRENT LIABILITIES	13		
PROVISIONS	14		
Sub-Total (B)			
NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)			
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15		
DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)			
TOTAL			

CONTINGENT LIABILITIES

	Particulars	Current Year	Previous Year
		(Rs.'000).	(Rs.'000).
1.	Partly paid-up investments		
2.	Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the company		
3.	Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)		
4.	Guarantees given by or on behalf of the Company		
5.	Statutory demands/ liabilities in dispute, not provided for		
6.	Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts		
7.	Others (to be specified)		
	TOTAL		

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**SCHEDULE - 1****PREMIUM**

	Particulars	Current Year	Previous Year
		(Rs.'000).	(Rs.'000).
1	First year premiums		
2	Renewal Premiums		
3	Single Premiums		
	TOTAL PREMIUM		

SCHEDULE- 2**COMMISSION EXPENSES**

Particulars	Current Year	Previous Year
	(Rs.'000)	(Rs.'000)
Commission paid		
Direct – First year premiums		
- Renewal premiums		
- Single premiums		
Add: Commission on Re-insurance Accepted		
Less: Commission on Re-insurance Ceded		
Net Commission		

Note:

The profit/ commission, if any, are to be combined with the Re-insurance accepted or Re-insurance ceded figures.

SCHEDULE - 3
OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

	Particulars	Current Year (Rs. '000).	Previous Year (Rs. '000).
1.	Employees' remuneration & welfare benefits		
2.	Travel, conveyance and vehicle running expenses		
3.	Training expenses		
4.	Rents, rates & taxes		
5.	Repairs		
6.	Printing & stationery		
7.	Communication expenses		
8.	Legal & professional charges		
9.	Medical fees		
10.	Auditors' fees, expenses etc		
	a) as auditor		
	b) as adviser or in any other capacity, in respect of		
	(i) Taxation matters		
	(ii) Insurance matters		
	(iii) Management services; and		
	c) in any other capacity		
11.	Advertisement and publicity		
12.	Interest & Bank Charges		
13.	Others (to be specified)		
14.	Depreciation		
	TOTAL		

Note : Items of expenses and income in excess of one percent of the total premiums (less reinsurance) or Rs.5,00,000 whichever is higher, shall be shown as a separate line item.

SCHEDULE - 4
BENEFITS PAID [NET]

	Particulars	Current Year (Rs. '000).	Previous Year (Rs. '000).
	1. Insurance Claims		
	(a) Claims by Death,		
	(b) Claims by Maturity,		
	(c) Annuities/Pension payment,		
	(d) Other benefits, specify		
	2. (Amount ceded in reinsurance):		
	(a) Claims by Death,		
	(b) Claims by Maturity,		
	(c) Annuities/Pension payment,		
	(d) Other benefits, specify		
	3. Amount accepted in reinsurance:		
	(a) Claims by Death,		
	(b) Claims by Maturity,		
	(c) Annuities/Pension payment,		
	(d) Other benefits, specify		
	TOTAL		

Notes: (a) Claims include specific claims settlement costs, wherever applicable.

(b) Legal and other fees and expenses shall also form part of the claims cost, wherever applicable.

SCHEDULE – 5
SHARE CAPITAL

	Particulars	Current Year (Rs.'000).	Previous Year (Rs.'000).
1.	Authorised Capital		
	Equity Shares of Rs..... each		
2.	Issued Capital		
	Equity Shares of Rs.each		
3.	Subscribed Capital		
	Equity Shares of Rs.....each		
4.	Called-up Capital		
	Equity Shares of Rs.each		
	Less : Calls unpaid		
	Add : Shares forfeited (Amount originally paid up)		
	Less : Par value of Equity Shares bought back		
	Less : Preliminary Expenses		
	Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares		
	TOTAL		

Notes:

- (a) Particulars of the different classes of capital should be separately stated.
(b) The amount capitalised on account of issue of bonus shares should be disclosed.
(c) In case any part of the capital is held by a holding company, the same should be separately disclosed.

SCHEDULE – 5A
PATTERN OF SHAREHOLDING
[As certified by the Management]

Shareholder	Current Year		Previous Year	
	Number of Shares	% of Holding	Number of Shares	% of Holding
Promoters				
• Indian				
• Foreign				
Others				
TOTAL				

SCHEDULE – 6

RESERVES AND SURPLUS

	Particulars	Current Year (Rs.'000)	Previous Year (Rs.'000)
1.	Capital Reserve		
2.	Capital Redemption Reserve		
3.	Share Premium		
4.	Revaluation Reserve		
5.	General Reserves		
	Less: Debit balance in Profit and Loss Account, if any		
	Less: Amount utilized for Buy-back		
6.	Catastrophe Reserve		
7.	Other Reserves (to be specified)		
8.	Balance of profit in Profit and Loss Account		
	TOTAL		

Note. Additions to and deductions from the reserves shall be disclosed under each of the specified heads.

SCHEDULE - 7**BORROWINGS**

	Particulars	Current Year (Rs. '000).	Previous Year (Rs. '000).
1.	Debentures/ Bonds		
2.	Banks		
3.	Financial Institutions		
4.	Others (to be specified)		
	TOTAL		

Notes

(a) The extent to which the borrowings are secured shall be separately disclosed stating the nature of the security under each sub-head.

(b) Amounts due within 12 months from the date of Balance Sheet should be shown separately

SCHEDULE- 8**INVESTMENTS-SHAREHOLDERS**

	Particulars	Current Year (Rs. '000)	Previous Year (Rs. '000)
	LONG TERM INVESTMENTS		
1.	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills		
2.	Other Approved Securities		
3.	Other Investments		
	(a) Shares (aa) Equity (bb) Preference (b) Mutual Funds (c) Derivative Instruments (d) Debentures/ Bonds (e) Other Securities (to be specified) (f) Subsidiaries Investment Properties-Real Estate		
4.	Investments in Infrastructure and Social Sector		
5.	Other than Approved Investments		
	SHORT TERM INVESTMENTS		
1.	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills		
2.	Other Approved Securities		
3.	Other Investments		
	(a) Shares (aa) Equity (bb) Preference (b) Mutual Funds (c) Derivative Instruments (d) Debentures/ Bonds (e) Other Securities (to be specified) (f) Subsidiaries Investment Properties-Real Estate		
4.	Investments in Infrastructure and Social Sector		
5.	Other than Approved Investments		
	TOTAL		

Note. See Notes appended at the end of Schedule- 8B

SCHEDULE- 8A
INVESTMENTS-POLICYHOLDERS

	Particulars	Current Year (Rs.'000)	Previous Year (Rs.'000)
	LONG TERM INVESTMENTS		
1.	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills		
2.	Other Approved Securities		
3.	(a) Shares (aa) Equity (bb) Preference (b) Mutual Funds (c) Derivative Instruments (d) Debentures/ Bonds (e) Other Securities (to be specified) (f) Subsidiaries (g) Investment Properties-Real Estate		
4.	Investments in Infrastructure and Social Sector		
5.	Other than Approved Investments		
	SHORT TERM INVESTMENTS		
1.	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills		
2.	Other Approved Securities		
3.	(a) Shares (aa) Equity (bb) Preference (b) Mutual Funds (c) Derivative Instruments (d) Debentures/ Bonds (e) Other Securities (to be specified) (f) Subsidiaries (g) Investment Properties-Real Estate		
4.	Investments in Infrastructure and Social Sector		
5.	Other than Approved Investments		
	TOTAL		

Note: See Notes appended at the end of Schedule- 8B

SCHEDULE- 8B
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES

	Particulars	Current Year (Rs.'000)	Previous Year (Rs.'000)
	LONG TERM INVESTMENTS		
1.	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills		
2.	Other Approved Securities		
3.	(a) Shares (aa) Equity (bb) Preference (b) Mutual Funds (c) Derivative Instruments (d) Debentures/ Bonds (e) Other Securities (to be specified) (f) Subsidiaries (g) Investment Properties-Real Estate		
4.	Investments in Infrastructure and Social Sector		
5.	Other than Approved Investments		
	SHORT TERM INVESTMENTS		
1.	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills		
2.	Other Approved Securities		

3.	(a) Shares		
	(aa) Equity		
	(bb) Preference		
	(b) Mutual Funds		
	(c) Derivative Instruments		
	(d) Debentures/ Bonds		
	(e) Other Securities (to be specified)		
	(f) Subsidiaries		
	(g) Investment Properties-Real Estate		
4.	Investments in Infrastructure and Social Sector		
5.	Other than Approved Investments		
	TOTAL		

Notes (applicable to Schedules 8 and 8A & 8B)

- (a) Investments in subsidiary/holding companies, joint ventures and associates shall be separately disclosed, at cost
- Holding company and subsidiary shall be construed as defined in the Companies Act, 1956.
 - Joint Venture is a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic activity, which is subject to joint control.
 - Joint control - is the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating policies of an economic activity to obtain benefits from it.
 - Associate - is an enterprise in which the company has significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint venture of the company
 - Significant influence (for the purpose of this schedule) -means participation in the financial and operating policy decisions of a company, but not control of those policies. Significant influence may be exercised in several ways, for example, by representation on the board of directors, participation in the policymaking process, material inter-company transactions, interchange of managerial personnel or dependence on technical information. Significant influence may be gained by share ownership, statute or agreement. As regards share ownership, if an investor holds, directly or indirectly through subsidiaries, 20 percent or more of the voting power of the investee, it is presumed that the investor does have significant influence, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case. Conversely, if the investor holds, directly or indirectly through subsidiaries, less than 20 percent of the voting power of the investee, it is presumed that the investor does not have significant influence, unless such influence is clearly demonstrated. A substantial or majority ownership by another investor does not necessarily preclude an investor from having significant influence.
- (b) Aggregate amount of company's investments other than listed equity securities and derivative instruments and also the market value thereof shall be disclosed.
- (c) Investment made out of Catastrophe reserve should be shown separately.
- (d) Debt securities will be considered as "held to maturity" securities and will be measured at historical costs subject to amortisation
- (e) Investment Property means a property [land or building or part of a building or both] held to earn rental income or for capital appreciation or for both, rather than for use in services or for administrative purposes.
- (f) Investments maturing within twelve months from balance sheet date and investments made with the specific intention to dispose of within twelve months from balance sheet date shall be classified as short-term investments

SCHEDULE - 9**LOANS**

	Particulars	Current Year (Rs. '000).	Previous Year (Rs. '000).
1.	SECURITY-WISE CLASSIFICATION		
	<i>Secured</i>		
	(a) On mortgage of property		
	(aa) In India		
	(bb) Outside India		
	(b) On Shares, Bonds, Govt. Securities, etc.		
	(c) Loans against policies		
	(d) Others (to be specified)		
	<i>Unsecured</i>		
	TOTAL		
2.	BORROWER-WISE CLASSIFICATION		
	(a) Central and State Governments		
	(b) Banks and Financial Institutions		
	(c) Subsidiaries		
	(d) Companies		
	(e) Loans against policies		
	(f) Others (to be specified)		
	TOTAL		
3.	PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION		
	(a) Loans classified as standard		
	(aa) In India		
	(bb) Outside India		
	(b) Non-standard loans less provisions		
	(aa) In India		
	(bb) Outside India		
	TOTAL		
4.	MATURITY-WISE CLASSIFICATION		
	(a) Short Term		
	(b) Long Term		
	TOTAL		

Notes.

- Short-term loans shall include those, which are repayable within 12 months from the date of balance sheet. Long term loans shall be the loans other than short-term loans.
- Provisions against non-performing loans shall be shown separately.
- The nature of the security in case of all long term secured loans shall be specified in each case. Secured loans for the purposes of this schedule, means loans secured wholly or partly against an asset of the company.
- Loans considered doubtful and the amount of provision created against such loans shall be disclosed.

SCHEDULE - 10**FIXED ASSETS**

(Rs. '000)

Particulars	Cost/ Gross Block				Depreciation				Net Block	
	Opening	Additions	Deductions	Closing	Up to last Year	For The Year	On Sales/ Adjustments	To Date	As at year end	Previous Year
Goodwill										
Intangibles (specify)										
Land-Freehold										
Leasehold Property										
Buildings										
Furniture & Fittings										
Information Technology Equipment										
Vehicles										
Office Equipment										
Others (Specify nature)										
TOTAL										
Work in progress										
Grand Total										
PREVIOUS YEAR										

Note.

Assets included in land, property and building above exclude Investment Properties as defined in note (c) to Schedule 8

SCHEDULE- 11**CASH AND BANK BALANCES**

	Particulars	Current Year	Previous Year
		(Rs. '000).	(Rs. '000).
1.	Cash (including cheques, drafts and stamps)		
2.	Bank Balances		
	(a) Deposit Accounts		
	(aa) Short-term (due within 12 months of the date of Balance Sheet)		
	(bb) Others		
	(b) Current Accounts		
	(c) Others (to be specified)		
3.	Money at Call and Short Notice		
	(a) With Banks		
	(b) With other Institutions		
4.	Others (to be specified)		
	TOTAL		
	Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above		
	CASH & BANK BALANCES		
1	In India		
2	Outside India		
	TOTAL		

Note. Bank balance may include remittances in transit. If so, the nature and amount shall be separately stated.

SCHEDULE – 12**ADVANCES AND OTHER ASSETS**

	Particulars	Current Year (Rs.'000)	Previous Year (Rs.'000)
	ADVANCES		
1.	Reserve deposits with ceding companies		
2.	Application money for investments		
3.	Prepayments		
4.	Advances to Directors/Officers		
5.	Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)		
6.	Others (to be specified)		
	TOTAL (A)		
	OTHER ASSETS		
1.	Income accrued on investments		
2.	Outstanding Premiums		
3.	Agents' Balances		
4.	Foreign Agencies Balances		
5.	Due from other entities carrying on insurance business (including reinsures)		
6.	Due from subsidiaries/ holding company		
7.	Deposit with Reserve Bank of India [Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938]		
8.	Others (to be specified)		
	TOTAL (B)		
	TOTAL (A+B)		

Notes:

- (a) The items under the above heads shall not be shown net of provisions for doubtful amounts. The amount of provision against each head should be shown separately.
- (b) The term 'officer' should conform to the definition of that term as given under the Companies Act, 1936.
- (c) Sundry debtors will be shown under item 8 (Others)

SCHEDULE – 13**CURRENT LIABILITIES**

	Particulars	Current Year (Rs.'000).	Previous Year (Rs.'000).
1.	Agents' Balances		
2.	Balances due to other insurance companies		
3.	Deposits held on re-insurance ceded		
4.	Premiums received in advance		
5.	Unallocated premium		
6.	Sundry creditors		
7.	Due to subsidiaries/ holding company		
8.	Claims Outstanding		
9.	Annuities Due		
10.	Due to Officers/ Directors		
11.	Others (to be specified)		
	TOTAL		

SCHEDULE – 14**PROVISIONS**

	Particulars	Current Year	Previous Year
		(Rs. '000).	(Rs. '000).
1.	For taxation (less payments and taxes deducted at source)		
2.	For proposed dividends		
3.	For dividend distribution tax		
4.	Others (to be specified)		
	TOTAL		

SCHEDULE – 15**MISCELLANEOUS EXPENDITURE****(To the extent not written off or adjusted)**

	Particulars	Current Year	Previous Year
		(Rs. '000).	(Rs. '000).
1.	Discount Allowed in issue of shares/ debentures		
2.	Others (to be specified)		
	TOTAL		

Notes:

- (a) No item shall be included under the head "Miscellaneous Expenditure" and carried forward unless:
- 1 some benefit from the expenditure can reasonably be expected to be received in future, and
 - 2 the amount of such benefit is reasonably determinable.
- (b) The amount to be carried forward in respect of any item included under the head "Miscellaneous Expenditure" shall not exceed the expected future revenue/other benefits related to the expenditure.

SCHEDULE B*(See Regulation 3)***PART I****Accounting principles for preparation of financial statements**

1. Applicability of Accounting Standards—Every Balance Sheet, Receipts and Payments Account [Cash Flow statement] and Profit and Loss Account [Shareholders' Account] of the insurer shall be in conformity with the Accounting Standards (AS) issued by the ICAI, to the extent applicable to the insurers carrying on general insurance business, except that:

- (i) Accounting Standard 3 (AS 3) – Cash Flow Statements – Cash Flow Statement shall be prepared only under the Direct Method.
- (ii) Accounting Standard 13 (AS 13) – Accounting for Investments, shall not be applicable.
- (iii) Accounting Standard 17 (AS 17) – Segment Reporting – shall apply to all insurers irrespective of the requirements regarding listing and turnover mentioned therein.

2. Premium--Premium shall be recognised as income over the contract period or the period of risk, whichever is appropriate. Premium received in advance, which represents premium income not relating to the current accounting period, shall be disclosed separately in the financial statements.

A reserve for unexpired risks shall be created as the amount representing that part of the premium written which is attributable to, and to be allocated to the succeeding accounting periods and shall not be less than as required under section 64 V(1) (ii) (b) of the Act.

Premium Received in Advance, which represents premium received prior to the commencement of the risk, shall be shown separately under the head '*Current Liabilities*' in the financial statements.

3. Premium Deficiency--Premium deficiency shall be recognised if the sum of expected claim costs, related expenses and maintenance costs exceeds related reserve for unexpired risks.

4. Acquisition Costs--Acquisition costs, if any, shall be expensed in the period in which they are incurred.

Acquisition costs are those costs that vary with, and are primarily related to, the acquisition of new and renewal insurance contracts. The most essential test is the obligatory relationship between costs and the execution of insurance contracts (i.e. commencement of risk).

5. Claims--The components of the ultimate cost of claims to an insurer comprise the claims under policies and specific claims settlement costs. Claims under policies comprise the claims made for losses incurred, and those estimated or anticipated under the policies following a loss occurrence.

A liability for outstanding claims shall be brought to account in respect of both direct business and inward reinsurance business. The liability shall include: -

- (a) Future payments in relation to unpaid reported claims;
- (b) Claims Incurred But Not Reported (IBNR) including inadequate reserves [sometimes referred to as Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER)],

which will result in future cash/asset outgo for settling liabilities against those claims. Change in estimated liability represents the difference between the estimated liability for outstanding claims at the beginning and at the end of the financial period.

The accounting estimate shall also include claims cost adjusted for estimated salvage value if there is sufficient degree of certainty of its realisation.

Actuarial Valuation of claim liability – in some cases

Claims made in respect of contracts where the claims payment period exceeds four years shall be recognised on an actuarial basis, subject to regulations that may be prescribed by the Authority. In such cases, certificate from a recognised actuary as to the fairness of liability assessment must be obtained. Actuarial assumptions shall be suitably disclosed by way of notes to the account.

6. Procedure to determine the value of investments.--An insurer shall determine the values of investments in the following manner:-

a) **Real Estate - Investment Property**-- Investment Property shall be measured at historical cost less accumulated depreciation and impairment loss, residual value being considered zero and no revaluation being permissible.

The Insurer shall assess at each balance sheet date whether any impairment of the investment property has occurred.

An impairment loss shall be recognised as an expense in the Revenue/Profit and Loss Account immediately.

Fair value as at the balance sheet date and the basis of its determination shall be disclosed in the financial statements as additional information.

b) **Debt Securities**--Debt securities including government securities and redeemable preference shares shall be considered as "held to maturity" securities and shall be measured at historical cost subject to amortisation.

c) **Equity Securities and Derivative Instruments that are traded in active markets**--Listed equity securities and derivative instruments that are traded in active markets shall be measured at fair value as at the balance sheet date. For the purpose of calculation of fair value, the lowest of the last quoted closing price of the stock exchanges where the securities are listed shall be taken.

The insurer shall assess on each balance sheet date whether any impairment of listed equity security(ies)/ derivative(s) instruments has occurred.

An active market shall mean a market, where the securities traded are homogenous, availability of willing buyers and willing sellers is normal and the prices are publicly available.

Unrealised gains/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and derivative instruments shall be taken to equity under the head 'Fair Value Change Account'. The 'Profit on sale of investments' or 'Loss on sale of investments', as the case may be, shall include accumulated changes in the fair value previously recognised in equity under the heading Fair Value Change Account in respect of a particular security and being recycled to Profit and Loss Account on actual sale of that listed security.

For the removal of doubt, it is clarified that balance or any part thereof shall not be available for distribution as dividends. Also, any debit balance in the said Fair Value Change Account shall be reduced from the profits/free reserves while declaring dividends.

The insurer shall assess, at each balance sheet date, whether any impairment has occurred. An impairment loss shall be recognised as an expense in Revenue/Profit and Loss Account to the extent of the difference between the remeasured fair value of the security/ investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue/Profit and Loss Account. Any reversal of impairment loss, earlier recognised in Revenue/Profit and Loss Account shall be recognised in Revenue/Profit and Loss Account.

d) **Unlisted and other than actively traded Equity Securities and Derivative Instruments**--Unlisted equity securities and derivative instruments and listed equity securities and derivative instruments that are not regularly traded in active market will be measured at historical costs. Provision shall be made for diminution in value of such investments. The provision so made shall be reversed in subsequent periods if estimates based on external evidence show an increase in the value of the investment over its carrying amount. The increased carrying amount of the investment due to the reversal of the provision shall not exceed the historical cost.

For the purposes of this regulation, a security shall be considered as being not actively traded, if as per guidelines governing mutual funds laid down from time to time by SEBI, such a security is classified as "thinly traded".

7. Loans--Loans shall be measured at historical cost subject to impairment provisions.

The insurer shall assess the quality of its loan assets and shall provide for impairment. The impairment provision shall not be lower than the amounts derived on the basis of guidelines prescribed from time to time by the Reserve Bank of India, that apply to companies and financial institutions.

8. Catastrophe Reserve -- Catastrophe reserve shall be created in accordance with norms, if any, prescribed by the Authority. Investment of funds out of catastrophe reserve shall be made in accordance with prescription of the Authority.

PART II**Disclosures forming part of Financial Statements****A. The following shall be disclosed by way of notes to the Balance Sheet:**

1. Contingent Liabilities:
 - (a) Partly-paid up investments
 - (b) Underwriting commitments outstanding
 - (c) Claims, other than those under policies, not acknowledged as debts
 - (d) Guarantees given by or on behalf of the company
 - (e) Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for
 - (f) Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts
 - (g) Others (to be specified)
2. Encumbrances to assets of the company in and outside India.
3. Commitments made and outstanding for Loans, Investments and Fixed Assets.
4. Claims, less reinsurance, paid to claimants in/outside India.
5. Actuarial assumptions for determination of claim liabilities in the case of claims where the claims payment period exceed four years.
6. Ageing of claims – distinguishing between claims outstanding for more than six months and other claims.
7. Premiums, less reinsurance, written from business in/outside India.
8. Extent of premium income recognised, based on varying risk pattern, category wise, with basis and justification therefor, including whether reliance has been placed on external evidence.
9. Value of contracts in relation to investments, for:
 - (h) Purchases where deliveries are pending;
 - (i) Sales where payments are overdue.
10. Operating expenses relating to insurance business: basis of allocation of expenditure to various classes of business.
11. Historical costs of those investments valued on fair value basis.
12. Computation of managerial remuneration.
13. Basis of amortisation of debt securities.
14. (a) Unrealised gain/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and derivative instruments are to be taken to equity under the head 'Fair Value Change Account' and on realisation reported in profit and loss Account.
(b) Pending realisation, the credit balance in the 'Fair Value Change Account' is not available for distribution.
15. Fair value of investment property and the basis therefor.
16. Claims settled and remaining unpaid for a period of more than six months as on the balance sheet date.

B. The following accounting policies shall form an integral part of the financial statements:

1. All significant accounting policies in terms of the accounting standards issued by the ICAI, and significant principles and policies given in Part I of Accounting Principles. Any other accounting policies followed by the insurer shall be stated in the manner required under Accounting Standard AS 1 issued by the ICAI.
2. Any departure from the accounting policies as aforesaid shall be separately disclosed with reasons for such departure.

C. The following information shall also be disclosed:

1. Investments made in accordance with any statutory requirement should be disclosed separately together with its amount, nature, security and any special rights in and outside India.
2. Segregation into performing/ non performing investments for purpose of income recognition as per the directions, if any, issued by the Authority.
3. Percentage of business sector-wise.
4. A summary of financial statements for the last five years, in the manner as may be prescribed by the Authority.
5. Accounting Ratios as may be prescribed by the Authority.
6. Basis of allocation of Interest, Dividends and Rent between Revenue Account and Profit and Loss Account.

PART III**GENERAL INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS**

- 1) The corresponding amounts for the immediately preceding financial year for all items shown in the Balance Sheet, Revenue Account and Profit and Loss Account should be given.
- 2) The figures in the financial statements may be rounded off to the nearest thousands.
- 3) Interest, dividends and rentals receivable in connection with an investment should be stated as gross value, the amount of income tax deducted at source being included under 'advance taxes paid'.
- 4) Income from rent shall not include any notional rent.
- 5) (I) For the purposes of financial statements, unless the context otherwise requires -
 - (a) the expression 'provision' shall, subject to note II below mean any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets, or retained by way of providing for any known liability or loss of which the amount cannot be determined with substantial accuracy;
 - (b) the expression "reserve" shall not, subject to as aforesaid, include any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets or retained by way of providing for any known liability;
 - (c) the expression capital reserve shall not include any amount regarded as free for distribution through the profit and loss account; and the expression "revenue reserve" shall mean any reserve other than a capital reserve;
 - (d) The expression "liability" shall include all liabilities in respect of expenditure contracted for and all disputed or contingent liabilities.
- (II) Where:
 - (a) any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets, or
 - (b) any amount retained by way of providing for any known liability

is in excess of the amount which in the opinion of the directors is reasonably necessary for the purpose, the excess shall be treated for the purposes of these accounts as a reserve and not as a provision.
- 6) The company should make provisions for damages under lawsuits where the management is of the opinion that the award may go against the insurer.
- 7) Extent of risk retained and reinsured shall be separately disclosed.
- 8) Any debit balance of Profit and Loss Account shall be shown as deduction from uncommitted reserves and the balance if any, shall be shown separately.

PART IV

CONTENTS OF MANAGEMENT REPORT

There shall be attached to the financial statements, a management report containing, *inter alia*, the following duly authenticated by the management:

1. Confirmation regarding the continued validity of the registration granted by the Authority;
2. Certification that all the dues payable to the statutory authorities have been duly paid;
3. Confirmation to the effect that the shareholding pattern and any transfer of shares during the year are in accordance with the statutory or regulatory requirements;
4. Declaration that the management has not directly or indirectly invested outside India the funds of the holders of policies issued in India;
5. Confirmation that the required solvency margins have been maintained;
6. Certification to the effect that the values of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and that in his (insurer's) belief the assets set forth in the Balance-sheets are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realisable or market value under the several headings – "Loans", "Investments", "Agents balances", "Outstanding Premiums", "Interest, Dividends and Rents outstanding", "Interest, Dividends and Rents accruing but not due", "Amounts due from other persons or Bodies carrying on insurance business", "Sundry Debtors", "Bills Receivable", "Cash" and the several items specified under "Other Accounts";
7. Disclosure with regard to the overall risk exposure and strategy adopted to mitigate the same;
8. Operations in other countries, if any, with a separate statement giving the management's estimate of country risk and exposure risk and the hedging strategy adopted;
9. Ageing of claims indicating the trends in average claim settlement time during the preceding five years;
10. Certification to the effect as to how the values, as shown in the balance sheet, of the investments and stocks and shares have been arrived at, and how the market value thereof has been ascertained for the purpose of comparison with the values so shown;
11. Review of asset quality and performance of investment in terms of portfolios, i.e., separately in terms of real estate, loans, investments, etc.
12. A responsibility statement indicating therein that:
 - (i) in the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;
 - (ii) the management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the operating profit or loss and of the profit or loss of the company for the year;
 - (iii) the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act 1938 (4 of 1938) / Companies Act, 1956 (1 of 1956), for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
 - (iv) the management has prepared the financial statements on a going concern basis;
 - (v) the management has ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.
13. A schedule of payments, which have been made to individuals, firms, companies and organisations in which Directors of the insurer are interested.

PART V

Preparation of Financial Statements

(1) An insurer shall prepare the Revenue Account, Profit and Loss Account [Shareholders' Account] and the Balance Sheet in Form B-RA, Form B-PL, and Form B-BS, or as near thereto as the circumstances permit.

Provided that an insurer shall prepare Revenue Accounts separately for fire, marine, and miscellaneous insurance business and separate schedules shall be prepared for Marine Cargo, Marine - Other than Marine Cargo and the following classes of miscellaneous insurance business under miscellaneous insurance and accordingly application of AS 17 - Segment Reporting - shall stand modified.

- | | | |
|----------------|--|-----------------------------|
| 1. Motor | 2. Workmen's Compensation/Employers' Liability | 3. Public/Product Liability |
| 4. Engineering | 5. Aviation | 6. Personal Accident |
| | 7. Health Insurance | 8. Others |

(2) An insurer shall prepare separate Receipts and Payments Account in accordance with the Direct Method prescribed in AS 3 - "Cash Flow Statement" issued by the ICAI.

FORM B-RA

Name of the Insurer:

Registration No. and Date of Registration with the IRDA

REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 20__.

	Particulars	Schedule	Current Year (Rs. '000)	Previous Year (Rs. '000)
1.	Premiums earned (Net)	1		
2.	Profit/ Loss on sale/redemption of Investments			
3.	Others (to be specified)			
4.	Interest, Dividend & Rent - Gross			
	TOTAL (A)			
1.	Claims Incurred (Net)	2		
2.	Commission	3		
3.	Operating Expenses related to Insurance Business	4		
	TOTAL (B)			
	Operating Profit/(Loss) from Fire/Marine/Miscellaneous Business C = (A - B)			
	APPROPRIATIONS			
	Transfer to Shareholders' Account			
	Transfer to Catastrophe Reserve			
	Transfer to Other Reserves (to be specified)			
	TOTAL (C)			

Note: See Notes appended at the end of Form B-PL.

FORM B-PL

Name of the Insurer:

Registration No. and Date of Registration with the IRDA

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 20__.

	Particulars	Schedule	Current Year (Rs.'000)	Previous Year (Rs.'000)
1.	OPERATING PROFIT/(LOSS)			
	(a) Fire Insurance			
	(b) Marine Insurance			
	(c) Miscellaneous Insurance			
2.	INCOME FROM INVESTMENTS			
	(a) Interest, Dividend & Rent – Gross			
	(b) Profit on sale of investments			
	Less: Loss on sale of investments			
3.	OTHER INCOME (To be specified)			
	TOTAL (A)			
4.	PROVISIONS (Other than taxation)			
	(a) For diminution in the value of investments			
	(b) For doubtful debts			
	(c) Others (to be specified)			
5.	OTHER EXPENSES			
	(a) Expenses other than those related to Insurance Business			
	(b) Bad debts written off			
	(c) Others (To be specified)			
	TOTAL (B)			
	Profit Before Tax			
	Provision for Taxation			
	APPROPRIATIONS			
	(a) Interim dividends paid during the year			
	(b) Proposed final dividend			
	(c) Dividend distribution tax			
	(d) Transfer to any Reserves or Other Accounts (to be specified)			
	Balance of profit/ loss brought forward from last year			
	Balance carried forward to Balance Sheet			

Notes: to Form B-RA and B- PL

- Premium income received from business concluded in and outside India shall be separately disclosed.
- Reinsurance premiums whether on business ceded or accepted are to be brought into account gross (i.e. before deducting commissions) under the head reinsurance premiums.
- Claims incurred shall comprise claims paid, specific claims settlement costs wherever applicable and change in the outstanding provision for claims at the year-end.
- Items of expenses and income in excess of one percent of the total premiums (less reinsurance) or Rs 5,00,000 whichever is higher, shall be shown as a separate line item.
- Fees and expenses connected with claims shall be included in claims.
- Under the sub-head "Others" shall be included items like foreign exchange gains or losses and other items.
- Interest, dividends and rentals receivable in connection with an investment should be stated as gross amount, the amount of income tax deducted at source being included under 'advance taxes paid and taxes deducted at source'
- Income from rent shall include only the realised rent. It shall not include any notional rent.

FORM B-BS

Name of the Insurer:

Registration No. and Date of Registration with the IRDA

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 20__.

	Schedule	Current Year (Rs. '000)	Previous Year (Rs. '000)
SOURCES OF FUNDS			
SHARE CAPITAL	5		
RESERVES AND SURPLUS	6		
FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT			
BORROWINGS	7		
TOTAL			
APPLICATION OF FUNDS			
INVESTMENTS	8		
LOANS	9		
FIXED ASSETS	10		
CURRENT ASSETS			
Cash and Bank Balances	11		
Advances and Other Assets	12		
Sub-Total (A)			
CURRENT LIABILITIES	13		
PROVISIONS	14		
Sub-Total (B)			
NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)			
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15		
DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT			
TOTAL			

CONTINGENT LIABILITIES

	Particulars	Current Year (Rs. '000)	Previous Year (Rs. '000)
1.	Partly paid-up investments		
2.	Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the company		
3.	Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)		
4.	Guarantees given by or on behalf of the Company		
5.	Statutory demands/ liabilities in dispute, not provided for		
6.	Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts		
7.	Others (to be specified)		
	TOTAL		

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**SCHEDULE - 1****PREMIUM EARNED (NET)**

	Particulars	Current Year (Rs. '000)	Previous Year (Rs. '000)
	Premium from direct business written		
	Add: Premium on reinsurance accepted		
	Less : Premium on reinsurance ceded		
	Net Premium		
	Adjustment for change in reserve for unexpired risks		
	Total Premium Earned (Net)		

Note: Reinsurance premiums whether on business ceded or accepted are to be brought into account, before deducting commission, under the head of reinsurance premiums.

SCHEDULE - 2**CLAIMS INCURRED (NET)**

	Particulars	Current Year (Rs. '000)	Previous Year (Rs. '000)
	Claims paid		
	Direct		
	Add : Re-insurance accepted		
	Less : Re-insurance Ceded		
	Net Claims paid		
	Add Claims Outstanding at the end of the year		
	Less Claims Outstanding at the beginning		
	Total Claims Incurred		

Notes:

- Incurred But Not Reported (IBNR). Incurred but not enough reported [IBNER] claims should be included in the amount for outstanding claims.*
- Claims includes specific claims settlement cost but not expenses of management*
- The surveyor fees, legal and other expenses shall also form part of claims cost.*
- Claims cost should be adjusted for estimated salvage value if there is a sufficient certainty of its realisation.*

**SCHEDULE- 3
COMMISSION**

Particulars	Current Year	Previous Year
	(Rs. '000)	(Rs. '000)
Commission paid		
Direct		
Add: Re-insurance Accepted		
Less: Commission on Re-insurance Ceded		
Net Commission		

Note: The profit/ commission, if any, are to be combined with the Re-insurance accepted or Re-insurance ceded figures.

**SCHEDULE - 4
OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS**

	Particulars	Current Year	Previous Year
		(Rs. '000)	(Rs. '000)
1.	Employees' remuneration & welfare benefits		
2.	Travel, conveyance and vehicle running expenses		
3.	Training expenses		
4.	Rents, rates & taxes		
5.	Repairs		
6.	Printing & stationery		
7.	Communication		
8.	Legal & professional charges		
9.	Auditors' fees, expenses etc		
	(a) as auditor		
	(b) as adviser or in any other capacity, in respect of		
	(i) Taxation matters		
	(ii) Insurance matters		
	(iii) Management services; and		
	(c) in any other capacity		
10.	Advertisement and publicity		
11.	Interest & Bank Charges		
12.	Others (to be specified)		
13.	Depreciation		
	TOTAL		

Note: Items of expenses and income in excess of one percent of the total premiums (less reinsurance) or Rs. 5,00,000 whichever is higher, shall be shown as a separate line item.

**SCHEDULE - 5
SHARE CAPITAL**

	Particulars	Current Year	Previous Year
		(Rs. '000)	(Rs. '000)
1.	Authorised Capital		
	Equity Shares of Rs. each		
2.	Issued Capital		
	Equity Shares of Rs.each		
3.	Subscribed Capital		
	Equity Shares of Rs.each		
4.	Called-up Capital		
	Equity Shares of Rs.each		
	Less : Calls unpaid		
	Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up)		
	Less : Par Value of Equity Shares bought back		
	Less : Preliminary Expenses		
	Expenses including commission or brokerage on		
	Underwriting or subscription of shares		
	TOTAL		

Notes:

- Particulars of the different classes of capital should be separately stated.
- The amount capitalised on account of issue of bonus shares should be disclosed.
- In case any part of the capital is held by a holding company, the same should be separately disclosed.

SCHEDULE – 5A
SHARE CAPITAL

PATTERN OF SHAREHOLDING
[As certified by the Management]

Shareholder	Current Year		Previous Year	
	Number of Shares	% of Holding	Number of Shares	% of Holding
Promoters				
• Indian				
• Foreign				
Others				
TOTAL				

SCHEDULE – 6
RESERVES AND SURPLUS

	Particulars	Current Year (Rs. '000)	Previous Year (Rs. '000)
1.	Capital Reserve		
2.	Capital Redemption Reserve		
3.	Share Premium		
4.	General Reserves Less: Debit balance in Profit and Loss Account Less: Amount utilized for Buy-back		
5.	Catastrophe Reserve		
6.	Other Reserves (to be specified)		
7.	Balance of Profit in Profit & Loss Account		
	TOTAL		

Note:

Additions to and deductions from the reserves should be disclosed under each of the specified heads

SCHEDULE - 7
BORROWINGS

	Particulars	Current Year (Rs. '000).	Previous Year (Rs. '000).
1.	Debentures/ Bonds		
2.	Banks		
3.	Financial Institutions		
4.	Others (to be specified)		
	TOTAL		

Notes

- The extent to which the borrowings are secured shall be separately disclosed stating the nature of the security under each sub-head*
- Amounts due within 12 months from the date of Balance Sheet should be shown separately*

Schedule -8
Investments

	Particulars	Current Year (Rs. 000)	Previous Year (Rs. 000)
	LONG TERM INVESTMENTS		
1.	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills		
2.	Other Approved Securities		
3.	Other Investments		
	(a) Shares		
	(aa) Equity		
	(bb) Preference		
	(b) Mutual Funds		
	(c) Derivative Instruments		
	(d) Debentures/ Bonds		
	(e) Other Securities (to be specified)		
	(f) Subsidiaries		
	(g) Investment Properties-Real Estate		
4.	Investments in Infrastructure and Social Sector		
5.	Other than Approved Investments		
	SHORT TERM INVESTMENTS		
1.	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills		
2.	Other Approved Securities		
3.	Other Investments		
	(a) Shares		
	(aa) Equity		
	(bb) Preference		
	(b) Mutual Funds		
	(c) Derivative Instruments		
	(d) Debentures/ Bonds		
	(e) Other Securities (to be specified)		
	(f) Subsidiaries		
	(g) Investment Properties-Real Estate		
4.	Investments in Infrastructure and Social Sector		
5.	Other than Approved Investments		
	TOTAL		

Notes:

- (a) Investments in subsidiary/holding companies, joint ventures and associates shall be separately disclosed, at cost.
- (i) Holding company and subsidiary shall be construed as defined in the Companies Act, 1956:
- (ii) Joint Venture is a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic activity, which is subject to joint control.
- (iii) Joint control - is the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating policies of an economic activity to obtain benefits from it.
- (iv) Associate - is an enterprise in which the company has significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint venture of the company.
- (v) Significant influence (for the purpose of this schedule) - means participation in the financial and operating policy decisions of a company, but not control of those policies. Significant influence may be exercised in several ways, for example, by representation on the board of directors, participation in the policymaking process, material inter-company transactions, interchange of managerial personnel or dependence on technical information. Significant influence may be gained by share ownership, statute or agreement. As regards share ownership, if an investor holds, directly or indirectly through subsidiaries, 20 percent or more of the voting power of the investee, it is presumed that the investor does have significant influence, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case. Conversely, if the investor holds, directly or indirectly through subsidiaries, less than 20 percent of the voting power of the investee, it is presumed that the investor does not have significant influence, unless such influence is clearly demonstrated. A substantial or majority ownership by another investor does not necessarily preclude an investor from having significant influence.
- (b) Aggregate amount of company's investments other than listed equity securities and derivative instruments and also the market value thereof shall be disclosed.
- (c) Investments made out of Catastrophe reserve should be shown separately.

109791/02-10

- (d) Debt securities will be considered as "held to maturity" securities and will be measured at historical cost subject to amortisation.
- (e) Investment Property means a property [land or building or part of a building or both] held to earn rental income or for capital appreciation or for both, rather than for use in services or for administrative purposes.
- (f) Investments maturing within twelve months from balance sheet date and investments made with the specific intention to dispose of within twelve months from balance sheet date shall be classified as short-term investments

SCHEDULE - 9**LOANS**

Particulars		Current Year	Previous Year
		(Rs. in Lakhs)	(Rs. in Lakhs)
1.	SECURITY-WISE CLASSIFICATION		
	Secured		
	(a) On mortgage of property		
	(aa) In India		
	(bb) Outside India		
	(b) On Shares, Bonds, Govt. Securities		
	(c) Others (to be specified)		
	Unsecured		
	TOTAL		
2.	BORROWER-WISE CLASSIFICATION		
	(a) Central and State Governments		
	(b) Banks and Financial Institutions		
	(c) Subsidiaries		
	(d) Industrial Undertakings		
	(e) Others (to be specified)		
	TOTAL		
3.	PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION		
	(a) Loans classified as standard		
	(aa) In India		
	(bb) Outside India		
	(b) Non-performing loans less provisions		
	(aa) In India		
	(bb) Outside India		
	TOTAL		
4.	MATURITY-WISE CLASSIFICATION		
	(a) Short Term		
	(b) Long Term		
	TOTAL		

Notes:

- (a) Short-term loans shall include those, which are repayable within 12 months from the date of balance sheet. Long term loans shall be the loans other than short-term loans.
- (b) Provisions against non-performing loans shall be shown separately.
- (c) The nature of the security in case of all long term secured loans shall be specified in each case. Secured loans for the purposes of this schedule, means loans secured wholly or partly against an asset of the company.
- (d) Loans considered doubtful and the amount of provision created against such loans shall be disclosed.

SCHEDULE – 10
FIXED ASSETS

(Rs. '000)

	Particulars	Cost/ Gross Block				Depreciation				Net Block	
		Opening	Additions	Deductions	Closing	Upto Last Year	For The Year	On Sales/ Adjustments	To Date	As at year end	Previous Year
	Goodwill										
	Intangibles (specify)										
	Land-freehold										
	Leasehold Property										
	Buildings										
	Furniture & Fixtures										
	Information Technology Equipment										
	Vehicles										
	Office Equipment										
	Others (Specify nature)										
	TOTAL										
	Work in progress										
	Grand Total										
	PREVIOUS YEAR										

Note.

Assets included in land, building and property above exclude Investment Properties as defined in note (c) to Schedule 8.

SCHEDULE- 11
CASH AND BANK BALANCES

	Particulars	Current Year	Previous Year
		(Rs. '000)	(Rs. '000)
1.	Cash (including cheques, drafts and stamps)		
2.	Bank Balances		
	(a) Deposit Accounts		
	(aa) Short-term (due within 12 months)		
	(bb) Others		
	(b) Current Accounts		
	(c) Others (to be specified)		
3.	Money at Call and Short Notice		
	(a) With Banks		
	(b) With other Institutions		
4.	Others (to be specified)		
	TOTAL		
	Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above		

Note: Bank balance may include remittances in transit. If so, the nature and amount should be separately stated.

SCHEDULE – 12**ADVANCES AND OTHER ASSETS**

	Particulars	Current Year (Rs. '000)	Previous Year (Rs. '000)
	ADVANCES		
1.	Reserve deposits with ceding companies		
2.	Application money for investments		
3.	Prepayments		
4.	Advances to Directors/Officers		
5.	Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)		
6.	Others (to be specified)		
	TOTAL (A)		
	OTHER ASSETS		
1.	Income accrued on investments		
2.	Outstanding Premiums		
3.	Agents' Balances		
4.	Foreign Agencies Balances		
5.	Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)		
6.	Due from subsidiaries/ holding		
7.	Deposit with Reserve Bank of India [Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938]		
8.	Others (to be specified)		
	TOTAL (B)		
	TOTAL (A+B)		

Notes

- (a) The items under the above heads shall not be shown net of provisions for doubtful amounts. The amount of provision against each head should be shown separately.
- (b) The term 'officer' should conform to the definition of that term as given under the Companies Act, 1956.
- (c) Sundry Debtors will be shown under item 9(others)

SCHEDULE – 13**CURRENT LIABILITIES**

	Particulars	Current Year (Rs. '000)	Previous Year (Rs. '000)
1.	Agents' Balances		
2.	Balances due to other insurance companies		
3.	Deposits held on re-insurance ceded		
4.	Premiums received in advance		
5.	Unallocated Premium		
6.	Sundry creditors		
7.	Due to subsidiaries/ holding company		
8.	Claims Outstanding		
9.	Due to Officers/ Directors		
10.	Others (to be specified)		
	TOTAL		

SCHEDULE - 14**PROVISIONS**

	Particulars	Current Year	Previous Year
		(Rs.'000)	(Rs.'000)
1	Reserve for Unexpired Risk		
2	For taxation (less advance tax paid and taxes deducted at source)		
3	For proposed dividends		
4	For dividend distribution tax		
5	Others (to be specified)		
	TOTAL		

SCHEDULE - 15**MISCELLANEOUS EXPENDITURE**

(To the extent not written off or adjusted)

	Particulars	Current Year	Previous Year
		(Rs.'000)	(Rs.'000)
1.	Discount Allowed in issue of shares/ debentures		
2.	Others (to be specified)		
	TOTAL		

Notes

(a) No item shall be included under the head "Miscellaneous Expenditure" and carried forward unless:

1. some benefit from the expenditure can reasonably be expected to be received in future, and
2. the amount of such benefit is reasonably determinable.

(b) The amount to be carried forward in respect of any item included under the head "Miscellaneous Expenditure" shall not exceed the expected future revenue/other benefits related to the expenditure

SCHEDULE C

(See Regulation 3)

AUDITOR'S REPORT**The report of the auditors on the financial statements of every insurer shall deal with the matters specified herein:**

1. (a) That they have obtained all the information and explanations which, to the best of their knowledge and belief were necessary for the purposes of their audit and whether they have found them satisfactory;
- (b) Whether proper books of account have been maintained by the insurer so far as appears from an examination of those books;
- (c) Whether proper returns, audited or unaudited, from branches and other offices have been received and whether they were adequate for the purpose of audit.
- (d) Whether the Balance sheet, Revenue account, Profit and Loss account and the Receipts and Payments Account dealt with by the report are in agreement with the books of account and returns;

(e) Whether the actuarial valuation of liabilities is duly certified by the appointed actuary including to the effect that the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms, if any, issued by the Authority, and/or the Actuarial Society of India in concurrence with the Authority.

2. The auditors shall express their opinion on:

(a) (i) Whether the balance sheet gives a true and fair view of the insurer's affairs as at the end of the financial year/period;

(ii) Whether the revenue account gives a true and fair view of the surplus or the deficit for the financial year/period;

(iii) Whether the profit and loss account gives a true and fair view of the profit or loss for the financial year/period;

(iv) Whether the receipts and payments account gives a true and fair view of the receipts and payments for the financial year/period;

(b) The financial statements stated at (a) above are prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and the Companies Act, 1956 (1 of 1956), to the extent applicable and in the manner so required.

(c) Investments have been valued in accordance with the provisions of the Act and these Regulations.

(d) The accounting policies selected by the insurer are appropriate and are in compliance with the applicable accounting standards and with the accounting principles, as prescribed in these Regulations or any order or direction issued by the Authority in this behalf.

3. The auditors shall further certify that:

(a) they have reviewed the management report and there is no apparent mistake or material inconsistencies with the financial statements.

(b) the insurer has complied with the terms and conditions of the registration stipulated by the Authority.

4. A certificate signed by the auditors [which shall be in addition to any other certificate or report which is required by law to be given with respect to the balance sheet] certifying that:-

(a) they have verified the cash balances and the securities relating to the insurer's loans, reversions and life interests (in the case of life insurers) and investments;

(b) to what extent, if any, they have verified the investments and transactions relating to any trusts undertaken by the insurer as trustee; and

(c) no part of the assets of the policyholders' funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) relating to the application and investments of the policyholders' funds.

N RANGACHARY, Chairman

[ADVT-III/4/Exty/61/02]